UNIVERSITY OF DELHI

BULLETIN OF INFORMATION

FOR

ADMISSION TO POSTGRADUATE PROGRAMS 2021-2022

दिल्ली विश्वविद्यालय

स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए
सूचना बुलेटिन
(2021-22)

कुलपति का संदेश

दिल्ली विश्वविद्यालय की यात्रा के शताब्दी वर्ष में प्रवेश करते हुए, मैं उन सभी उम्मीदवारों का गर्मजोशी से स्वागत करता हूं जो इस परिवार का हिस्सा बनने की इच्छा रखते हैं और अध्ययन और अनुसंधान के 500 से अधिक कार्यक्रमों में शामिल होना चाहते हैं । केवल तीन महाविद्यालयों और 750 विद्यार्थियों के साथ वर्ष 1922 में स्थापित, दिल्ली विश्वविद्यालय ने अपने लिए एक जगह बनाई है, जो अपने 86 से अधिक विभागों और अनुसंधान केंद्रों के साथ-साथ 91 महाविद्यालयों के माध्यम से अकादमिक उत्कृष्टता और सांस्कृतिक विविधता के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित हुआ है ।

7 लाख से अधिक विद्यार्थियों और हजारों विशिष्ट संकाय सदस्यों के साथ-साथ कई शानदार पूर्व विद्यार्थियों से समृद्ध हमारे संसाधनों ने हमेशा हमें ख्याति दिलाई है । यह इस तथ्य में परिलक्षित होता है कि विश्वविद्यालय ने उच्च शिक्षा में उच्चतम वैश्विक मानकों और सर्वोत्तम व्यवहारों (प्रैक्टिसेस) को बनाए रखा है । इसके परिणामस्वरूप इसे नैक द्वारा ए$^+$ ग्रेड प्रदान किया गया है । विश्वविद्यालय ने सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग (सीडब्ल्यूयूआर 2021-22) के अनुसार राष्ट्रीय रैंक में 6वां स्थान हासिल किया है और नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) 2020 में 11वें स्थान पर है। यह शीर्ष 10 भारतीय सार्वजनिक शिक्षण संस्थानों/विश्वविद्यालयों में भी शामिल है और क्यू.एस ब्रिक्स विश्वविद्यालय रैंकिंग के तहत भारतीय सार्वजनिक विश्वविद्यालयों में पहला है । विश्वविद्यालय के हिंडेक्स ने 219 (स्कोपस डाटाबेस के अनुसार) को छुआ, जो भारतीय विश्वविद्यालयों में सबसे अधिक है और क्यू.एस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में 13 स्थानों पर अपनी रैंकिंग में सुधार हुआ; 474 स्थान पर है। इसके अलावा, हमें आउटलुक-आईसीएआरई इंडिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2019 द्वारा शीर्ष 25 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में पहले स्थान पर और शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में 8वें स्थान पर रखा गया है। दिल्ली विश्वविद्यालय क्यू.एस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में 501-510 के रूप में स्थान दिया गया है। दिल्ली विश्वविद्यालय को टाइम्स हायर एजुकेशन (टीएचई) वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में 601-800 रैंक, द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में 201-250 रैंक, और इमर्जिंग इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में 182वें स्थान पर रहा है।

हमारे संघटक महाविद्यालयों ने इंडिया टुडे ऑल इंडिया रैंकिंग सर्वे ऑफ कॉलेजेज, 2021 में एक बार फिर से बेहतर प्रदर्शन किया है। दिल्ली विश्वविद्यालय को शिक्षा मंत्रालय (एमओई) द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस (आई.ओ.ई) घोषित किया गया है और राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (नैक) ने इसे ए$^+$ ग्रेड के साथ 3.28 के सी.जी.पी.ए स्कोर के साथ देश के शीर्ष विश्वविद्यालयों में से एक के रूप में मान्यता दी है । आईओई के रूप में, विश्वविद्यालय को अंतर-अनुशासनात्मक/बहुविषयक दृष्टिकोण वाले अत्याधुनिक अनुसंधान आधारित संस्थानों की मेजबानी करने पर गर्व है । हमें विश्वास है कि आपकी सक्रिय भागीदारी और समर्थन से आने वाले वर्षों में इस तरह की ख्याति बढ़ेगी।

शिक्षण अनुसंधान और इसकी आउटरीच गतिविधियों में अपनी उत्कृष्टता पहचान बना चुका, दिल्ली विश्वविद्यालय सभी के लिए समानता, निष्पक्षता और न्याय के सिद्धांतों को गहराई से पोषित करता है । जबकि देश की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के साथ-साथ शिक्षण सीखने की प्रक्रियाओं जैसे वन डी.यू पोर्टल में अभिनव शिक्षाशास्त्र के माध्यम से प्रगति करने के लिए प्रतिबद्ध है । हम लड़कियों और महिलाओं और हाशिए के समुदायों से संबंधित लोगों की शिक्षा पर विशेष जोर देते हैं । विश्वविद्यालय जहां भी आवश्यक हो, समावेशिता के उच्चतम बेंचमार्क की दिशा में प्रयासरत है, ऐसे व्यक्तियों के लिए विशिष्ट कार्यक्रम, योजनाएं और सुविधाएं प्रदान की जाती हैं । सभी के माध्यम से सशक्तिकरण हमारा निरंतर प्रयास है ।

विश्वविद्यालय के उत्तरी और दक्षिणी परिसर वर्षों से महत्वपूर्ण परिसर बने हुए हैं, अब इसका विस्तार पूरे शहर में हो गया है। हम सूरजमल विहार में पूर्वी परिसर और नजफगढ़ के पास रोशनपुरा में पश्चिमी परिसर विकसित करने की प्रक्रिया में भी हैं ।

विस्तार और उत्कृष्टता की भावना को आगे बढ़ाते हुए भारत के कई जाने-माने साहित्यकार, बुद्धिजीवी, वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, कानूनविद, सिविल सेवक, रक्षाकर्मी, राजनेता, खिलाड़ी, फिल्मी हस्तियां, पत्रकार और व्यापार जगत के नेता इस संस्था के विद्यार्थी अथवा संकाय सदस्य रहे हैं ।

हमारे आउटरीच कार्यक्रम, विशेष रूप से गोद लिए गए पांच गांवों में 'प्लास्टिक मुक्त गांव' अभियान में हमारी सक्रिय भागीदारी, सामाजिक सशक्तिकरण और सामुदायिक जुड़ाव के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का संकेत है । हमेशा नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार, विश्वविद्यालय ने अपनी पूरी प्रवेश प्रक्रिया को संपर्क रहित और ऑनलाइन बनाने जैसे अभिनव तरीकों का उपयोग करके कोविड-19 महामारी के दौरान शैक्षिक कार्यक्रमों और सामुदायिक समर्थन के सुचारू संचालन की दिशा में अपना भरसक प्रयास किया है।

जैसा कि *नई शिक्षा नीति, 2020* में कहा गया है, कि आने वाले दशकों में भारत का एक वैश्विक महाशक्ति बनने का सपना मुख्य रूप से वैश्विक मांगों को पूरा करने के लिए अपने मानव संसाधनों के कौशल बढ़ाने, नवाचारों को बढ़ाने और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट-अप बढ़ाने पर निर्भर करता है । विश्वविद्यालय इस सपने को मूर्त रूप देने के लिए भरसक योगदान देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

हमारे दूरदर्शी और मार्गदर्शक आदर्श वाक्य के*साथ 'निष्ठा धृति सत्यम' ;* हम उच्च शिक्षा में वैश्विक नेता बनने के लिए आगे बढ़ने का संकल्प लेते हैं । इस महान लक्ष्य की ओर, हम आप में से प्रत्येक को हमारे साथ जुड़ने के लिए आमंत्रित करते हैं ।

प्रोफेसर पी.सी. जोशी

विषयसूची

1	ध्यानपूर्वक पढ़ा जाए	4
1.1	महत्वपूर्ण समय सीमा	6
1.2	हेल्प डेस्क की जानकारी	6
1.3	ऑनलाइन पंजीकरण	7
1.4	स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए पंजीकरण शुल्क (अप्रतिदेय)	9
2	दाखिला (एडमिशन) का तरीका	9
3	न्यूनतम पात्रता मानदंड	10
3.1	आयु	10
3.2	कार्यक्रम-विशिष्ट पात्रता मानदंड/योग्यता परीक्षाएं	10
3.3	समतुल्यता मापदंड	10
4	दिल्ली विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा (डीयूईटी 2021)	11
4.1	राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एन.टी.ए) के बारे में	12
4.2	प्रवेश परीक्षा के लिए केंद्र (डीयूईटी 2021)	12
4.3	परीक्षा की योजना	13
5	प्रवेश प्रक्रिया	13
6	एन.सी.डब्ल्यू.ई.बी में प्रवेश	15
7	एस.ओ.एल में प्रवेश	16
8	आरक्षण और छूट	16
8.1	अनुसूचित जाति (एस.सी) /अनुसूची जनजाति (एस.टी) उम्मीदवारों के लिए आरक्षण	17
8.2	अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी) उम्मीदवारों के लिए आरक्षण	18
8.3	आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ई.डब्ल्यू.एस) उम्मीदवारों के लिए आरक्षण	19
9	अधिसंख्य सीटें	19
9.1	बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण/रियायत (पी.डब्ल्यू.बी.डी)	19
9.2	सशस्त्र बल (सी.डब्ल्यू) कोटा	26
9.3	वार्ड कोटा	28
9.4	खेल कोटा	29
10	विदेशी नागरिकों का पंजीकरण/ प्रवेश	35
11	सामान्य दिशानिर्देश	36
12	प्रवेश शिकायत निवारण समिति (समितियां)	36
अनुलग्नक I	स्नातकोत्तर कार्यक्रमों की सूची	27
अनुलग्नक II	कार्यक्रम विशिष्ट पात्रता मानदंड	29
अनुलग्नक III	ई.डब्ल्यू.एस प्रमाण पत्र के लिए निर्धारित प्रारूप	97
अनुलग्नक IV	प्रारूप शैक्षिक रियायत प्रमाण पत्र	98
अनुलग्नक V	विद्यार्थियों के आचरण पर नीतियां	99
अनुलग्नक VI	विश्वविद्यालय सुविधाएं	100
अनुलग्नक VII	परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम	101
	डी.यू.ई.टी 2021 के लिए प्रवेश पत्र	
	उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश	
	निषिद्ध सामग्री	
	डी.यू.ई.टी 2021 परिणाम की घोषणा की प्रक्रिया	
	डी.यू.ई.टी 2021 के उम्मीदवारों के लिए आचार संहिता	

	परीक्षा परिणाम (रिजल्ट) का पुनर्मूल्यांकन/पुन: जांच (री-चेकिंग)	
	कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सी.बी.टी) में शामिल होने के लिए प्रक्रिया	
	एन.टी.ए वीडिंग मानदंड	
	कानूनी क्षेत्राधिकार	

1. ध्यानपूर्वक पढ़ा जाए

- शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर कार्यक्रम (कार्यक्रमों) में प्रवेश लेने के इच्छुक पात्र उम्मीदवार को सूचना के इस बुलेटिन की सामग्री को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिए ।
- इस बुलेटिन के जारी होने के बाद किसी भी कार्यक्रम में किए गए परिवर्तन **स्नातकोत्तर (पी.जी) प्रवेश पोर्टल :** http://www.du.ac.in पर पोस्ट किए जाने की तिथि से प्रभावी हो जाएंगे।
- विश्वविद्यालय बिना किसी पूर्व सूचना के इस बुलेटिन के किसी भी भाग को परिशोधित करने, संशोधित करने, अद्यतन करने अथवा हटाने का अधिकार सुरक्षित रखता है । इस प्रकार किए गए किसी भी परिवर्तन को पी.जी प्रवेश पोर्टल पर अद्यतन किया जाएगा ।
- उम्मीदवार किसी भी अपडेट और शिकायतों के लिए नियमित रूप से पोर्टल की जांच करने के लिए जिम्मेदार हैं। इस बुलेटिन को पढ़ने/परामर्श न करने और पी.जी पोर्टल पर प्रकाशित अपडेट के गायब होने पर विचार नहीं किया जाएगा ।

स्नातकोत्तर (पी.जी) प्रवेश के बारे में अधिसूचनाओं और अद्यतन के लिए, कृपया देखें:

http://www.du.ac.in/

अस्वीकरण: पी.जी प्रवेश पोर्टल पर जानकारी विभिन्न संकायों, विभागों, केंद्रों, महाविद्यालयों, डी.यू के अन्य संस्थानों और संबंधित स्रोतों से एकत्र और संकलित इनपुट का एक संग्रह है । जहां तक संभव हो, पोर्टल पर उपलब्ध कराए गए नियमों और विनियमों और अन्य प्रासंगिक जानकारी के प्रामाणिक आधिकारिक संस्करण को पुन: प्रस्तुत करने के लिए उचित सावधानी बरती गई है । हालांकि, यह, किसी भी स्थिति में, एक तैयार संदर्भ के रूप में अब तक प्रदान की गई जानकारी की पूर्णता और सटीकता के बारे में वारंटी, व्यक्त अथवा निहित के रूप में नहीं माना जाना चाहिए ।

दिल्ली विश्वविद्यालय प्रदान की गई जानकारी के आधार पर किसी भी कार्रवाई से उत्पन्न होने वाले नुकसान अथवा क्षति के लिए किसी भी व्यक्ति के प्रति किसी भी दायित्व को अस्वीकार करता है। यदि पोर्टल पर कोई भी त्रुटि पाई जाती है, तो वह अनजाने में हुई चूक, जो लिपिकीय गलतियों अथवा किसी अन्य कारण से हो सकती है। विश्वविद्यालय बिना किसी पूर्व सूचना के सूचना के किसी भाग को संशोधित करने, अद्यतन करने अथवा हटाने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- प्रवेश के लिए किसी भी आवश्यकता का अनुपालन न करने के मामले में, जिसमें संबंधित दस्तावेज जमा न करना और/अथवा निर्धारित तिथि और समय के भीतर शुल्क का भुगतान न करना शामिल है, तो उम्मीदवार प्रवेश के अपने अधिकार को खो देगा ।

- यदि किसी भी स्तर पर किसी अभ्यर्थी के प्रवेश से संबंधित मूल दस्तावेज फर्जी/गैर-वास्तविक अथवा मनगढ़ंत अथवा किसी अन्य तरीके से दोषपूर्ण पाए जाते हैं, तो उक्त अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा और यदि पहले से प्रवेश दिया गया है तो इस संबंध में बिना किसी पूर्व सूचना के प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा । यदि कार्यक्रम पूरा होने के बाद ऐसा पाया जाता है, तो उसकी डिग्री रद्द कर दी जाएगी और उसके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी ।
- ऑनलाइन पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र भरने से पहले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे सूचना के बुलेटिन (बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन) की सामग्री को ध्यान से पढ़ें और दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम, 1922 और संविधियों को भी पढ़ें। दिल्ली विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.du.ac.in पर उपलब्ध दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यादेश, नियम और विनियम उन पर बाध्यकारी होंगे
- प्रवेश प्रक्रिया में उम्मीदवार की भागीदारी अनंतिम होगी । यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि वह न्यूनतम पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता/करती है, तो उसका प्रवेश, यदि दिया जाता है तो उसे *वास्तविक रूप से* रद्द कर दिया जाएगा और उसके विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई की जा सकती है ।
- उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे जिस कार्यक्रम के लिए आवेदन कर रहे हैं, उसके लिए न्यूनतम पात्रता मानदंड का पता लगाएं । यदि कोई उम्मीदवार बाद के चरण में आवेदन किए गए कार्यक्रम के लिए अपात्र पाया जाता है तो विश्वविद्यालय पंजीकरण शुल्क वापस नहीं करेगा ।
- परीक्षाओं और शैक्षणिक कैलेंडर, जुलाई 2021, के संबंध **में** यू.जी.सी के दिशा-निर्देशों के अनुसार, **कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन और संबंधित कारकों के कारण अभिभावकों को वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, एक विशेष मामले के रूप में शैक्षिक सत्र 2021-2022 के लिए 31 अक्टूबर, 2021 तक के विद्यार्थियों के प्रवेश/प्रवास के सभी रद्द होने के कारण शुल्क की पूर्ण वापसी की जानी चाहिए। यह स्पष्ट किया जाता है कि 31 अक्टूबर, 2021 तक रद्द होने/माइग्रेशन के कारण सभी शुल्कों सहित पूरी फीस वापस की जानी चाहिए (यानी शून्य रद्दीकरण शुल्क होना चाहिए) । इसके बाद, 31 दिसंबर, 2021 तक के दाखिले रद्द करने/वापस लेने पर, एक विद्यार्थी से एकत्र की गई पूरी फीस प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में 1000 रुपये से अधिक की कटौती करने के बाद पूर्ण रूप से वापस की जानी चाहिए।**

1.1 **महत्वपूर्ण**

समय सीमा

नियत कार्य (टास्क)	**प्रारंभ तिथि**	**अंतिम तिथि**
पंजीकरण शुल्क का पंजीकरण और भुगतान डी.यू.ई.टी 2021	**26.07.2021**	**21.08.2021**
प्रवेश सूचियों की घोषणा, प्रवेश और प्रवेश शुल्क जमा	www.du.ac.in **पर बाद में घोषित किया जाएगा।**	

1.2 हेल्प डेस्क संबंधी जानकारी

प्रवेश से संबंधित किसी भी सामान्य प्रश्नों के लिए, उम्मीदवार कर सकता है:

1. पी.जी पोर्टल पर उपलब्ध चैटबॉट (ChatBOT) पर प्रश्न पोस्ट करें
2. pg@admission.du.ac.in पर एक ई-मेल लिखें
3. संपर्क करें : दाखिला (एडमिशन) शाखा, दिल्ली विश्वविद्यालय, फोन: +91-11-27667092

डी.यू.ई.टी 2021 संबंधित प्रश्नों के लिए एन.टी.ए हेल्प लाइनें **संपर्कसूत्र: 011-40759000 ईमेल: duet@nta.ac.in**
संबंधित विभाग के हेल्प-डेस्क अधिकारियों से संपर्क करें (संबंधित विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध विवरण)

केवल पी.डब्ल्यू.बी.डी उम्मीदवारों के लिए
समान अवसर प्रकोष्ठ, ट्यूटोरियल बिल्डिंग, कला संकाय,
केंद्रीय पुस्तकालय के पास, उत्तरी परिसर, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली - 110007
फोन: +91-11-27662602

विदेशी विद्यार्थी
विदेशी उम्मीदवारों को प्रवेश देने के लिए नियमों और जिम्मेदारियों के बारे में सभी पूछताछ को संभालने के लिए विश्वविद्यालय में एक निर्दिष्ट विदेशी विद्यार्थी सलाहकार कार्यालय है। विदेशी नागरिक उम्मीदवार संपर्क कर सकते हैं : विदेशी विद्यार्थी _ रजिस्ट्री कार्यालय,
सम्मेलन केंद्र, गेट नंबर 4 के पास, उत्तरी परिसर, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली110007
फोन नं: +91-11-27666756 | ई-मेल : fsr@du.ac.in

1.3 ऑनलाइन पंजीकरण

ए	स्नातकोत्तर (पी.जी) कार्यक्रमों में प्रवेश लेने के इच्छुक सभी अभ्यर्थियों को ऑनलाइन पंजीकरण कराना अनिवार्य है।

बी	उम्मीदवारों के पंजीकरण के लिए समर्पित एक सामान्य वेब पोर्टल है और विश्वविद्यालय में सभी स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए एक सामान्य पंजीकरण फॉर्म है। ऑनलाइन पंजीकरण विवरण: http://www.du.ac.in/ पर उपलब्ध हैं।
सी	पी.जी एडमिशन पोर्टल तक पहुंचने के लिए पहली बार यूजर को पोर्टल पर पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) कराना होगा । एक वैध ई-मेल आईडी के साथ वह आसानी से पंजीकरण कर सकते हैं और नए उपयोगकर्ता **पंजीकरण बटन** पर क्लिक करके लॉगिन विवरण उत्पन्न कर सकते हैं । ❖ जिन अभ्यर्थियों के पास वैध ई-मेल आईडी नहीं है, उन्हें आगे बढ़ने से पहले ई-मेल आईडी बनानी होगी। ❖ पंजीकरण फॉर्म भरने के लिए चरण दर चरण (**स्टेप बाय स्टेप) निर्देश** देखने के लिए पोर्टल पर **हेल्प** टैब पर क्लिक करें।[1] ❖ **लॉगिन विवरण** में, प्रत्येक उम्मीदवार अपना व्यक्तिगत विवरण (अपने मूल प्रमाण पत्रों में दिये गए अनुसार), ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर (बिना किसी प्रीफिक्स के 10 अंकों की संख्या) प्रस्तुत करेगा, जिसका उपयोग भविष्य के पत्राचार के लिए किया जाएगा, और एक पासवर्ड (अधिकतम छह पात्रों का) बनाएगा । ❖ कृपया सुनिश्चित करें कि फॉर्म में दिए गए सभी विवरण पूर्ण और सही हैं, क्योंकि इसका उपयोग प्रवेश प्रक्रिया के दौरान और बाद में प्रवेश के बाद भी किया जाएगा ।
डी	आवश्यक विवरण सफलतापूर्वक जमा करने पर दिए गए ई-मेल आईडी पर एक पुष्टिकरण लिंक उत्पन्न किया जाएगा, और उम्मीदवार लिंक पर क्लिक करके अपने पंजीकरण की पुष्टि करेगा ।
ई	उम्मीदवारों को **यूजरनेम** (ई-मेल आईडी) और **पासवर्ड** दोनों को संभालकर रखना होगा क्योंकि प्रवेश प्रक्रिया के दौरान पोर्टल पर और साथ ही भविष्य के सभी पत्राचार के लिए उसके खाते तक पहुंचने के लिए आवश्यक होगा।
एफ	उम्मीदवारों को '**यूजरनेम**', '**पासवर्ड**' अथवा '**मोबाइल नंबर**' और '**ओटीपी**' का उपयोग करके पोर्टल पर फिर से लॉगिन करना होगा और पंजीकरण फॉर्म को पूरा करना होगा। वह निम्नलिखित मदों को अपलोड करने की जरूरत है: ❖ उसका पासपोर्ट आकार का फोटो (अधिकतम आकार: 50 केबी; प्रारूप: जेपीजी/जेपीईजी/पीएनजी) ❖ उसके स्कैन किए गए हस्ताक्षर (अधिकतम आकार: 50 केबी; प्रारूप: जेपीजी/जेपीईजी/पीएनजी) ❖ अर्हक परीक्षा के अंकों का उनका अंतिम विवरण
जी	उम्मीदवार को अपने पहचान प्रमाण (फोटोग्राफ के साथ) का विवरण भी प्रस्तुत करना होगा और इसकी स्कैन प्रति अपलोड करनी होती है। यह निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक हो सकता है: **आधार कार्ड (फोटो के साथ)** /मतदाता पहचान पत्र/पैन **कार्ड/पासपोर्ट/ड्राइविंग** लाइसेंस
एच	अपलोड की गई फाइलों को चेक किया जा सकता है और जरूरत पड़ने पर सबमिशन से पहले बदला जा सकता है । एक बार सभी उपर्युक्त फ़ाइलों को विधिवत अपलोड किए जाने के बाद उम्मीदवार सबमिट माय प्रोफाइल के साथ आगे बढ़ सकता है।
आई	इसके बाद, उम्मीदवार एप्लाई इन न्यू प्रोग्राम के साथ आगे बढ़ेगा॥, और अपने शैक्षिक विवरण, उस कार्यक्रम का विवरण प्रदान करेगा जिसमें वह आवेदन कर रहा है, साथ ही प्रवेश मानदंड (मेरिट **आधारित**, प्रवेश **परीक्षा आधारित** अथवा **दोनों मेरिट और प्रवेश परीक्षा** लागू के रूप में आधारित है) ।

जे	उम्मीदवार सेव एप्लीकेशन पर क्लिक करके अपना विवरण सेव कर सकता है और फॉर्म में भरे गए विवरणों की जांच कर सकता है।
के	सभी आवश्यक विवरण और दस्तावेज प्रस्तुत करने के बाद, उम्मीदवार पृष्ठ के नीचे उपलब्ध तीन विकल्पों में से किसी एक के साथ आगे बढ़ सकता **है: ' एडिट', _ पे शुल्क ' और' माई होम'**।
एल	**आवेदन शुल्क** का भुगतान उपलब्ध **ऑनलाइन भुगतान** विकल्पों में से किसी एक के माध्यम से किया जा सकता है : नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और यू.पी.आई।
एम	**ऑनलाइन भुगतान की प्राप्ति के बाद ही पंजीकरण पूरा माना जाएगा।**
एन	उम्मीदवार जो एक से अधिक कार्यक्रम के लिए आवेदन करना चाहता है वे प्रत्येक कार्यक्रम के लिए एक ही पंजीकरण फार्म भरना होगा, लेकिन प्रत्येक कार्यक्रम के लिए अलग से भुगतान करने की आवश्यकता है ।

1.4 स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए पंजीकरण शुल्क (अप्रतिदेय) है :

एस.सी, एस.टी, पी.डब्ल्यू.बी.डी	रु.300 (पी.जी.डी.सी.एस.एल को छोड़कर सभी कार्यक्रमों के लिए*) पी.जी.डी.सी.एस.एल के लिए रु.1500/-
यू.आर, ओ.बी.सी और ई.डब्ल्यू.एस	रु.750 (पी.जी.डी.सी.एस.एल को छोड़कर सभी कार्यक्रमों के लिए) पी.जी.डी.सी.एस.एल* के लिए रु. 2000/- *पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी एंड लॉ
अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने फॉर्म सावधानी से भरें। फॉर्म जमा करने के बाद कोई सुधार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पंजीकरण के समय एक बार चयनित/दर्ज किए जाने के बाद सामाजिक श्रेणी, लैंगिक और बैंक खाते के विवरण को किसी भी परिस्थिति में नहीं बदला जाएगा । ***एक बार जमा किया गया पंजीकरण शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस/समायोजित नहीं किया जाएगा।***	

2. प्रवेश का तरीका

ए	विश्वविद्यालय के सभी विभागों, जो अंतर अनुशासनात्मक अथवा व्यावसायिक कार्यक्रमों की पेशकश करते हैं, उनको को छोड़कर स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में दाखिला के दो तरीके हैं[3] : ❖ **मेरिट** आधारित- अर्हक परीक्षा में अभ्यर्थियों के मेरिट के आधार पर कुल सीटों का 50 प्रतिशत हिस्सा भरा जाएगा। जहां भी लागू हो, **मेरिट आधारित** विकल्प केवल उन उम्मीदवारों के लिए खुला है **जिनके पास दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री है।** ❖ **प्रवेश परीक्षा** आधारित: कुल सीटों का शेष 50% प्रवेश परीक्षा में उम्मीदवारों की रैंक के आधार पर भरा जाएगा ।
बी	यह फिर से ध्यान दिया जा सकता है कि स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में प्रवेश लेने के इच्छुक **सभी उम्मीदवारों को प्रवेश के तरीके पर ध्यान दिए बिना अनिवार्य रूप से ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा** ।

	ऑफलाइन प्रवेश/पंजीकरण (एडमिशन/रजिस्ट्रेशन) नहीं होगा।
सी	पंजीकरण के समय, उम्मीदवार निम्नलिखित विकल्पों में से एक के तहत आवेदन करना चुन सकते हैं: ❖ केवल मेरिट आधारित ❖ केवल **प्रवेश परीक्षा** आधारित ❖ **मेरिट** और प्रवेश परीक्षा दोनों **आधारित**
डी	विभाग दोनों तरीकों (मोड) में अलग-अलग प्रवेश सूचियां जारी करेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय के मौजूदा नियमों के अनुसार आरक्षण/रियायत दोनों मोड **(मेरिट** और **प्रवेश परीक्षा)** में अलग से लागू होगी।

3. न्यूनतम पात्रता मानदंड

3.1 आयु

विश्वविद्यालय के अध्यादेश-I के अनुसार, विश्वविद्यालय और उसके महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए कोई न्यूनतम आयु सीमा नहीं है, केवल उन कार्यक्रमों को छोड़कर जहां संबंधित नियामक निकाय, जैसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एम.सी.आई), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए.आई.सी.टी.ई), बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बी.सी.आई), राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (एन.सी.टी.ई) , डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया (डी.सी.आई) आदि ने अपने-अपने संबंधित विनियमों में आवश्यक न्यूनतम आयु निर्धारित की है।

3.2 कार्यक्रम-विशिष्ट पात्रता मानदंड/योग्या परीक्षाएं

प्रत्येक कार्यक्रम के लिए कार्यक्रम-विशिष्ट पात्रता मानदंड/योग्यता परीक्षा का विवरण **अनुलग्नक-II** में दिया गया है और http://www.du.ac.in पर भी उपलब्ध कराया गया है। उम्मीदवारों को कार्यक्रम के अनुसार पात्रता मानदंड का भी उल्लेख करना चाहिए ।

3.3 समतुल्यता मापदंड

विश्वविद्यालय के विभाग/महाविद्यालय संबंधित उम्मीदवारों को सलाह दे सकते हैं कि वे विभाग/महाविद्यालय में प्रवेश के उद्देश्य से भारतीय विश्वविद्यालयों के संघ/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/ए.आई.सी.टी.ई/काउंसिल ऑफ बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (सी.ओ.बी.एस.ई) से प्रमाणित अपनी डिग्रियों/डिप्लोमा/प्रमाण पत्रों की मान्यता/समतुल्यता प्राप्त करें। इसके अलावा, डिग्रियों/प्रमाणपत्रों/डिप्लोमा की समतुल्यता के मामलों को आगे विचार और पुष्टि के लिए विश्वविद्यालय प्राधिकारियों के समक्ष रखा जा सकता है । विश्वविद्यालय द्वारा पहले से मान्यता प्राप्त/मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र/डिप्लोमा/डिग्रियों को आगे सत्यापन के लिए नहीं भेजा जाएगा ।

4. दिल्ली विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा (डी.यू.ई.टी 2021)

राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एन.टी.ए) को प्रवेश आधारित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए दिल्ली प्रवेश परीक्षा 2021 के संचालन का जिम्मा सौंपा गया है।

4.1 राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एन.टी.ए) के बारे में

शिक्षा मंत्रालय(एम.ओ.ई),भारत सरकार (जी.ओ.आई) ने प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों की योग्यता का आकलन करने के लिए कुशल, पारदर्शी और अंतरराष्ट्रीय मानक परीक्षणों के संचालन के लिए सोसायटी पंजीकरण अधिनियम (1860) के तहत एक स्वतंत्र, स्वायत्त और आत्मनिर्भर प्रीमियर परीक्षण संगठन के रूप में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एन.टी.ए) की स्थापना की है ।

वर्ष 2019 के बाद से राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी(एन.टी.ए) को दिल्ली विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा (डी.यू.ई.टी 2021) के आयोजन का जिम्मा सौंपा गया है।

4.2 प्रवेश परीक्षा के लिए केंद्र (डी.यू.ई.टी 2021)

दिल्ली विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा निम्नलिखित शहरों में स्थित केंद्रों पर आयोजित की जाएगी:

क्रमांक	शहर	क्रमांक	शहर
1.	अहमदाबाद/गांधीनगर	15.	जम्मू
2.	अमृतसर	16.	कोलकाता
3.	बंगलोर	17.	लखनऊ
4.	भोपाल	18.	मुंबई/नवी मुंबई
5.	भुवनेश्वर	19.	नागपुर
6.	चंडीगढ़/मोहाली	20.	पटना
7.	चेन्नई	21.	रायपुर
8.	कटक	22.	रांची
9.	देहरादून	23.	शिलांग
10.	दिल्ली (एन.सी.आर)*	24.	शिमला
11.	गुवाहाटी	25.	श्रीनगर(जे एंड के)
12.	हैदराबाद	26.	तिरुवनंतपुरम
13.	इम्फाल	27.	वाराणसी
14.	जयपुर		

	* दिल्ली/एन.सी.आर में दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, साहिबाबाद, गाजियाबाद शामिल हैं। ❖ आवेदन करने के समय (आवेदन फॉर्म भरते समय), उम्मीदवार उपर्युक्त शहरों में से किसी तीन को वरीयता के क्रम में, प्रवेश परीक्षा के लिए उपस्थित होने के लिए चुन सकता है, लेकिन एक बार आवेदन जमा करने के बाद उसे अपनी वरीयता बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी । ❖ **यदि किसी उम्मीदवार ने एक से अधिक कार्यक्रमों के लिए आवेदन किया है और लागू कार्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा कार्यक्रम मेल खाता है, तो विश्वविद्यालय इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा*** । हालांकि सक्षम एन.टी.ए अधिकारी उन उम्मीदवारों की पहचान करने की पूरी कोशिश करेंगे जो पंजीकरण पोर्टल से कई कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवेदन कर रहे हैं और इन कार्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा के एक ही दिन पर हैं, उन्हें वही अथवा पास के परीक्षा केंद्र आबंटित कर सकते हैं।
	❖ यदि कोई उम्मीदवार किसी अन्य विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान/प्रतियोगी परीक्षा आदि में किसी पाठ्यक्रम/कार्यक्रम के लिए आवेदन करता है और डी.यू.ई.टी 2021 के साथ तिथि/मेल खाता है, तो न तो एन.टी.ए और न ही डी.यू परीक्षा तिथि/शहर/केंद्र में बदलाव करेगा । ❖ इसके अलावा, एक उम्मीदवार को वरीयता तभी दी जाएगी जब काफी संख्या में उम्मीदवारों ने शहर को अपनी पसंद के रूप में दिया है और/अथवा परीक्षा केंद्र में सीटों की उपलब्धता के अधीन है । एन.टी.ए को बिना कोई कारण बताए परीक्षा के किसी भी केंद्र/शहर को बदलने/रद्द/स्थानांतरित (शिफ्ट) करने का अधिकार सुरक्षित है । ❖ एन.टी.ए किसी भी परीक्षा शहर के केंद्र पर उम्मीदवारों की संख्या अधिक/कम होने पर परीक्षार्थी द्वारा चयनित परीक्षा शहर के केंद्र को दूसरे नजदीकी केंद्र में बदल/स्थानांतरित कर सकता है। ❖ एक बार परीक्षा शहर का केंद्र चुने जाने के बाद बदला नहीं जाएगा । कृपया अपना नाम, विषय समूह, जन्म तिथि, लैंगिक, परीक्षा केंद्र का नाम, शहर और श्रेणी इत्यादि के लिए प्रवेश पत्र (एडमिट कार्ड) को ध्यान से देखें । प्रवेश पत्र से संबंधित कोई भी समस्या होने पर दिए गए हेल्पलाइन नंबरों पर प्रात: 10:00 बजे से सांय 5:00 बजे के बीच संपर्क करें।
4.3	**परीक्षा की योजना** **(*-विषय की प्रकृति के आधार पर कुछ विषयों में भिन्न हो सकते हैं)**

परीक्षा का तरीका	**सी.बी.टी (कंप्यूटर आधारित टेस्ट)**
अवधि	**2 घंटे**
प्रश्नों का प्रकार	**मल्टीपल चॉइस प्रश्न**
प्रश्नों की संख्या	**50/100**
प्रति प्रश्न अंक	**4 (चार) प्रत्येक सही उत्तर के लिए**
स्कोरिंग	**- गलत उत्तर के लिए1 नकारात्मक अंकन**
पेपर का माध्यम*	**केवल अंग्रेजी (भाषा पाठ्यक्रमों में अपवाद हो सकता है)**

5. प्रवेश (एडमिशन) प्रक्रिया

ए. उम्मीदवारों को प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित अपडेट के लिए पी.जी एडमिशन पोर्टल की जांच करते रहने की सलाह दी जाती है ।

बी. प्रवेश परीक्षा आधारित मोड के लिए, भले ही उम्मीदवार के अर्हक परीक्षा परिणाम का अभी भी प्रतीक्षित हों, उन्हें प्रवेश सूची में माना जाएगा । लेकिन यदि प्रवेश की अंतिम तिथि से चार दिन पहले तक अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा परिणाम जमा/अपलोड नहीं किया जाता है तो प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा । (दिल्ली विश्वविद्यालय के सक्षम अधिकारी द्वारा घोषित किए जाने पर) ।

सी. च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के तहत दिल्ली विश्वविद्यालय के स्नातक कार्यक्रमों के लिए सी.जी.पी.ए को प्रतिशत में बदलने का फार्मूला है:

अंकों का अंतिम प्रतिशत (%) = सभी छह सेमेस्टर सी.जी.पी.ए के आधार पर x 9.56 । यह परीक्षा शाखा (संदर्भ संख्या अधिष्ठाता,परीक्षा/2017/9126) की अधिसूचना के अनुसार है।

डी. सी.जी.पी.ए के मामले में, अंतिम गणना प्रतिशत को पूर्णांकित नहीं किया जाएगा और केवल 2 दशमलव स्थानों तक ही विचार किया जाएगा।

ई. चयनित उम्मीदवारों की प्रवेश सूचियां (श्रेणीवार) दिए गए कार्यक्रम के अनुसार विश्वविद्यालय/विभाग की वेबसाइट पर अपलोड की जाएंगी ।

एफ. मेरिट और प्रवेश परीक्षा आधारित सूचियों (जहां भी लागू हो) दोनों की घोषणा एक साथ की जाएगी।

जी. प्रवेश सूचियों में आबंटन मेरिट-सह-वरीयता/ रैंक-सह-वरीयता और संबंधित विभागों/महाविद्यालयों में सीटों की उपलब्धता के आधार पर किया जाता है। विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी वरीयताएं जमा करने से पहले विभिन्न महाविद्यालयों के शुल्क संरचना को देखें ।

एच. प्रवेश परीक्षा के अंकों में टाई के मामले में, वरीयता के निम्नलिखित क्रम में टाई-ब्रेकर लागू किए जाएंगे:

- पात्रता मानदंड उल्लिखित योग्यता परीक्षा[7] में उच्च प्रतिशत वाले उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी। ([7] दिल्ली विश्वविद्यालय अथवा दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा समकक्ष के रूप में मान्यता प्राप्त किसी अन्य भारतीय अथवा विदेशी विश्वविद्यालय से स्नातक/स्नातकोत्तर डिग्री)।
- स्नातक डिग्री के अंतिम वर्ष में उच्च प्रतिशत वाले उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी, फिर पिछले वर्ष और इसी तरह ।
- बारहवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में अधिक कुल अंक (एक भाषा सहित पांच विषय) वाले अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी।

आई. उपर्युक्त खंड में भी समान टाई-ब्रेकिंग मानदंड मेरिट आधारित प्रवेश में लागू किए जाएंगे ।

जे. यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि केवल प्रवेश सूची में एक उम्मीदवार के नाम का मतलब यह नहीं है कि उसे प्रवेश दिया गया है । चयनित उम्मीदवारों को निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन प्रवेश शुल्क का भुगतान करना है ।

	के. चयनित उम्मीदवार उन महाविद्यालयों के कार्यक्रम और वरीयता क्रम का चयन करने के लिए पी.जी प्रवेश पोर्टलों पर लॉगिन करेंगे, जहां समान कार्यक्रम की पेशकश की जाती है ।
	एल. विभागाध्यक्ष/महाविद्यालय के प्राचार्य ऑनलाइन अपलोड किए गए प्रमाण पत्रों का सत्यापन करने और महाविद्यालय आबंटित करने के बाद प्रवेश की स्वीकृति देंगे ।
	एम. उम्मीदवार निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन प्रवेश शुल्क का भुगतान करेंगे और उन्हें अनंतिम रूप से प्रवेश दिया जाएगा ।
	एन. चयनित उम्मीदवार को निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर अनंतिम रूप से स्वीकार किया जाएगा :
	☐ उम्मीदवार उन महाविद्यालयों को वरीयता देगा जहां कार्यक्रम की पेशकश की जा रही है ।
	☐ दस्तावेजों के ऑनलाइन सत्यापन के बाद, विभाग के प्रमुख/नोडल अधिकारी प्रवेश पोर्टल पर अनुमोदित ऐसे उम्मीदवारों को चिह्नित करेंगे, जिसके बाद वे प्रवेश शुल्क का भुगतान करेंगे ।
	☐ उम्मीदवार को निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रवेश शुल्क का ऑनलाइन भुगतान जमा करना होगा ।
	ओ. जो उम्मीदवार किसी दी गई प्रवेश सूची के लिए निर्धारित समय सीमा के भीतर किसी भी कारण से कार्यक्रम का चयन नहीं करते हैं अथवा ऑनलाइन शुल्क का भुगतान नहीं करते हैं, उन्हें किसी भी बाद की सूचियों में प्रवेश के लिए विचार नहीं किया जाएगा ।
	पी. प्रवेश के अंतिम अनुमोदन के लिए, उम्मीदवार को विश्वविद्यालय द्वारा घोषित निर्धारित समय के भीतर विभाग/केंद्र/महाविद्यालय में व्यक्तिगत रूप से मूल प्रमाण पत्रों को सत्यापित करवाना होगा, जब कभी विश्वविद्यालय द्वारा इसकी घोषणा की जाए।
	अस्वीकरण: यदि किसी कारण से, अनजाने में, विश्वविद्यालय/विभाग द्वारा डी.यू की वेबसाइट पर प्रवेश के लिए एक गलत सूची अपलोड की जाती है, तो विश्वविद्यालय को उसे वापस लेने और वेबसाइट पर अपलोड की गई गलत सूची के लिए कोई दायित्व उठाए बिना सही को अपलोड करने का अधिकार सुरक्षित है।

6. एन.सी.डब्ल्यु.ई.बी में प्रवेश

एन.सी.टी दिल्ली में रहने वाली केवल महिला उम्मीदवार ही एन.सी.डब्ल्यु.ई.बी, दिल्ली विश्वविद्यालय के पी.जी प्रोग्राम में प्रवेश के लिए पात्र होंगी। **प्रवेश के समय अभ्यर्थी के नाम पर निवास प्रमाणपत्र (रेजिडेंस प्रूफ) की आवश्यकता होगी।** यह एक वैध **आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा राशन कार्ड** हो सकता है।

प्रासंगिक कार्यक्रमों के लिए गैर-कॉलेजिएट महिला शिक्षा बोर्ड (एन.सी.डब्ल्यु.ई.बी)[8] के लिए वरीयता सभी पात्र महिला उम्मीदवारों के लिए स्वत:-चयनित होगी । मेरिट सूची की घोषणा के

बाद दाखिले की शेष प्रक्रिया एन.सी.डब्ल्यू.ई.बी द्वारा अलग से अधिसूचित की जाएगी।

एन.सी.डब्ल्यू.ई.बी में पी.जी कार्यक्रम (प्रोग्राम)	एम.ए : अरबी, बंगाली, अंग्रेजी, हिंदी, इतिहास, फारसी, दर्शनशास्त्र, राजनीति विज्ञान, पंजाबी, संस्कृत, उर्दू
	एम.ए/एम.एससी. गणित

7. एस.ओ.एल में प्रवेश

प्रासंगिक कार्यक्रमों के लिए स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग (एस.ओ.एल) के लिए वरीयता सभी पात्र उम्मीदवारों के लिए स्वत: चयनित की जाएगी । हालांकि एस.ओ.एल प्रवेश (एडमिशन) के लिए अन्य सभी प्रक्रियाएं अलग से करेगा।

एस.ओ.एल में पी.जी कार्यक्रम	एम.ए : हिंदी, इतिहास, राजनीति विज्ञान, संस्कृत
	एम.कॉम

8. आरक्षण और छूट

विश्वविद्यालय आरक्षण और छूट के मामलों में केंद्र सरकार की नीतियों का कड़ाई से पालन करता है, और ई.डब्ल्यू.एस/ओ.बी.सी/एस.सी/एस.टी कोटे के तहत इसका लाभ उठाने के लिए एक उम्मीदवार को निम्नलिखित प्राधिकरणों में से किसी द्वारा जारी वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होता है:

- जिलाधिकारी/अपर जिला दंडाधिकारी/जिलाधीश/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/उप जिलाधिकारी/प्रथम श्रेणी स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट/उप-मंडल मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यपालक दंडाधिकारी/अतिरिक्त सहायक आयुक्त ।
- मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अपर मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट ।
- राजस्व अधिकारी तहसीलदार रैंक से नीचे नहीं।
- उस क्षेत्र का उपमंडल अधिकारी जहां उम्मीदवार और/अथवा उसका परिवार सामान्य रूप से रहता है।
- प्रशासक/प्रशासक का सचिव /विकास अधिकारी (लक्षद्वीप द्वीप समूह) ।
- उम्मीदवारों को यह ध्यान रखना चाहिए कि किसी अन्य व्यक्ति/प्राधिकारी से ई.डब्ल्यू.एस/ओ.बी.सी (गैर-क्रीमी लेयर) /एस.सी/एस.टी प्रमाण पत्र किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा ।
  - यदि उम्मीदवार ओ.बी.सी/एस.सी अथवा एस.टी वर्ग से संबंधित है, तो उम्मीदवार जाति/जनजाति को उपयुक्त भारत सरकार अनुसूची में सूचीबद्ध किया जाना चाहिए । जाति प्रमाण पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए : (ए) उसकी जाति/जनजाति का नाम (बी) क्या उम्मीदवार ओ.बी.सी/एस.सी अथवा एस.टी से संबंधित है (सी) उम्मीदवार के सामान्य निवास स्थान का जिला और राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश, और (डी) उपयुक्त भारत सरकार अनुसूची जिसके तहत उसकी जाति/जनजाति को ओ.बी.सी/एस.सी/एस.टी के रूप में अनुमोदित किया गया है ।

	❖ यदि उम्मीदवारों के पास पंजीकरण के समय वैध ई.डब्ल्यू.एस/ओ.बी.सी (गैर-क्रीमी लेयर) /एस.सी अथवा एस.टी जाति/जनजाति प्रमाण पत्र अद्यतन नहीं है, तो उम्मीदवार प्रमाण पत्र के लिए आवेदन की पावती पर्ची अपलोड कर सकता है । हालांकि, प्रवेश के समय, उम्मीदवार को अपना हाल/वैध मूल ई.डब्ल्यू.एस/ओ.बी.सी (गैर-क्रीमी लेयर) /एससी/एसटी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। किसी भी परिस्थिति में हाल ही में/वैध आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए और समय नहीं दिया जाएगा । ❖ तथापि, यदि कोई ई.डब्ल्यू.एस/ओ.बी.सी (गैर-क्रीमी लेयर) /एस.सी/एस.टी उम्मीदवार किसी अन्य श्रेणी के तहत प्रवेश चाहता है (उदाहरण के लिए: पी.डब्ल्यू.बी.डी/सी.डब्ल्यू आदि) उम्मीदवार को उस विशेष श्रेणी के लिए न्यूनतम पात्रता आवश्यकता को पूरा करना चाहिए । ❖ अनारक्षित (यू.आर) सूची के तहत मेरिट में प्रवेश पाने वाले ई.डब्ल्यू.एस/ओ.बी.सी (नॉन क्रीमी लेयर) /एस.सी/एस.टी उम्मीदवारों की गणना आरक्षित कोटे में नहीं की जाएगी । विभागों/महाविद्यालयों की ओर से ई.डब्ल्यू.एस/ओ.बी.सी (नॉन क्रीमी लेयर) /एस.सी/एस.टी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित सभी सीटों को भरना एक वैधानिक बाध्यता है । विभाग/महाविद्यालय किसी भी ओ.बी.सी (नॉन क्रीमी लेयर) /एस.सी/एस.टी उम्मीदवारों को शिक्षा के माध्यम में उनकी कमी के आधार पर प्रवेश से मना नहीं करेंगे, और विभाग/महाविद्यालय इसके लिए यू.जी.सी अनुदान का उपयोग करते हुए उपचारात्मक कक्षाओं की व्यवस्था कर सकते हैं ।

8.1	**अनुसूचित जाति (एस.सी) /अनुसूची जनजाति (एस.टी) उम्मीदवारों के लिए आरक्षण** ❖ कुल सीटों की संख्या का 22½2% अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है (अनुसूचित जाति के लिए 15% और अनुसूचित जनजाति के लिए 7½2%, यदि आवश्यक हो, तो विनिमेय) । ❖ एस.सी/एस.टी के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम पात्रता आवश्यकता दिल्ली विश्वविद्यालय की संबंधित/समकक्ष योग्यता परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्ण (पास) अंक होंगे । ❖ जहां दाखिला प्रवेश परीक्षा पर आधारित है, एस.सी/एस.टी के उम्मीदवारों को परीक्षा के लिए उपस्थित होना होगा, हालांकि, उनकी मेरिट सूची अलग से तैयार की जाएगी अथवा जैसा कि कार्यक्रम के लिए आवेदन किया गया है । ❖ एस.सी और एस.टी वर्ग के उम्मीदवारों को जहां भी लागू हो, किसी कार्यक्रम में प्रवेश के लिए न्यूनतम कट ऑफ और मेरिट निर्धारित करने के लिए न्यूनतम अंकों में 5% की छूट दी जाएगी। ❖ यदि 5% छूट देने के बाद भी आरक्षित सीटें अभी भी रिक्त रहती हैं, तो सभी आरक्षित सीटों (ए.सी संकल्प A88, 14.6.1983; ई.सी संकल्प 157, 24121.2001) को भरने के लिए आवश्यक सीमा तक और छूट दी जाएगी । ❖ एस.सी / एस.टी के लिए आरक्षित सीटें **केवल एस.सी / एस.टी** के उम्मीदवारों द्वारा भरी जाएंगी. हालांकि, पात्र उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के मामले में आरक्षित सीटों को केवल एस.सी और एस.टी के बीच बदला (इंटरचेंज) जा सकता है । यदि कोई भी सीट अभी भी खाली रहती है, तो उसे खाली छोड़ दिया जाएगा ।

8.2	**अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी) उम्मीदवारों के लिए आरक्षण** भारत सरकार की सूची में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी) के उम्मीदवारों के लिए कुल सीटों की संख्या का 27% आरक्षित है। ओ.बी.सी उम्मीदवारों को अर्हक(क्वालीफाइंग) परीक्षा में न्यूनतम पात्रता के साथ-साथ प्रवेश परीक्षा में न्यूनतम पात्रता (यदि कोई हो) दोनों में अनारक्षित श्रेणी (यू.आर) उम्मीदवारों के लिए निर्धारित न्यूनतम पात्रता अंकों के 10 प्रतिशत तक छूट दी जाएगी । उदाहरण के लिए, यदि यू.आर श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए किसी कार्यक्रम में प्रवेश के लिए न्यूनतम पात्रता 50% है, तो अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम पात्रता 45% होगी। प्रमाण पत्र में उम्मीदवार की गैर-क्रीमी लेयर स्थिति (डी.ओ.पी.टी कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93-स्था.(एस.सी.टी) दिनांक 15.11.1993) में उल्लिखित प्राधिकरण द्वारा जारी गैर-क्रीमी लेयर स्थिति का उल्लेख होना चाहिए। ओ.बी.सी उम्मीदवार जो नॉन-क्रीमी लेयर से संबंधित हैं और जिनकी जाति ओ.बी.सी की केंद्रीय सूची में दिखाई देती है (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वेबसाइट पर उपलब्ध राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों पर अधिसूचित: http://ncbc.nic.in/ backward classes/index.html.), ओ.बी.सी. श्रेणी (डी.ओ.पी.टी कार्यालय ज्ञापन संख्या 36036/2/2013-स्था. (आरईएस-1), दिनांक 31 मार्च, 2016) के अनुसार उम्मीदवारों की गैर क्रीमी लेयर स्थिति के संबंध में ओ.बी.सी प्रमाण पत्र की वैधता अवधि) के तहत प्रवेश के लिए विचार करने के लिए पात्र होंगे । नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट की वैधता 31 मार्च, 2021 के बाद जारी वित्त वर्ष 2021-2022 के लिए होगी। यदि अभ्यर्थी के पास पंजीकरण के समय नवीनतम वित्तीय वर्ष 2021-2022 का ओ.बी.सी नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र नहीं है तो अभ्यर्थी पूर्व में जारी (पुराने) ओ.बी.सी नॉनक्रेय लेयर प्रमाण पत्र अथवा ओ.बी.सी नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र आवेदन की पावती पर्ची अपलोड कर सकता है। हालांकि, प्रवेश के समय, उम्मीदवार को उसी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी हाल के वित्तीय वर्ष (2021-22) ओ.बी.सी नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इस अतिरिक्त प्रमाण पत्र में उसके पहले से जारी मूल जाति प्रमाण पत्र का संदर्भ होना चाहिए ।
	अस्वीकरण: **1. किसी भी परिस्थिति में आवश्यक प्रमाण पत्र जमा करने के लिए कोई और विस्तार/छूट नहीं दी जाएगी ।** **2. यदि आवेदक को भूलवश अथवा किसी अन्य कारण से हाल ही के वित्तीय वर्ष (2021-22) ओ.बी.सी गैर क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र के बिना प्रवेश दिया जाता है, तो विश्वविद्यालय/विभाग पूर्व सूचना के बिना और किसी भी दायित्व के बिना प्रवेश रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है**

8.3	**आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस) के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण:** आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस) के उम्मीदवारों का प्रवेश दिल्ली विश्वविद्यालय के अधिसूचना/डी.ओ.पी.टी आदेश के अनुसार होगा । विश्वविद्यालय के विभागों/केंद्रों/महाविद्यालयों ने अकादमिक वर्ष, 2020-21 से प्रवेश के लिए 10% सीटें आरक्षित की हैं । ऐसे अभ्यर्थियों की पात्रता उपर्युक्त अधिसूचना में निर्धारित मापदंड को पूरा करने के आधार पर तय की जाएगी। http://www.du.ac.in/du/uploads/Notification-EWS.pdf

9. अधिसंख्य सीटें

9.1	**बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण/रियायत (पी.डब्ल्यू.बी.डी)** दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार, बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों के लिए कम से कम 5% सीटें आरक्षित हैं। उक्त अधिनियम के अनुसार, बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति का अर्थ है एक निर्दिष्ट विकलांगता का 40 प्रतिशत से कम नहीं है जहां निर्दिष्ट विकलांगता को मापने योग्य शब्दों में परिभाषित नहीं किया गया है और इसमें विकलांगता वाला व्यक्ति शामिल है जहां प्रमाणित विकलांगता को मापने योग्य शब्दों में परिभाषित किया गया है, जैसा कि प्रमाणित प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित किया गया है। उल्लेखनीय है कि पूर्ववर्ती दिव्यांगजन (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (1996 का नंबर) जिसके तहत पहले दाखिले में दिव्यांगों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था, उसे अब निरस्त कर दिया गया है। ❖ पी.डब्ल्यू.बी.डी उम्मीदवारों को अर्हक (क्वालीफाइंग) परीक्षा में न्यूनतम पात्रता में 5 % तक की छूट दी जाएगी ।

- प्रवेश परीक्षा में अंकों में छूट *(यदि लागू हो)* इस तरह के बिंदु/स्तर तक प्रदान की जाएगी कि किसी विशेष कार्यक्रम में आरक्षित/आरक्षित के रूप में उपलब्ध के रूप में निर्धारित सभी सीटों को भरा जाता है अथवा किसी विशेष कार्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करने के लिए पात्र बेंचमार्क विकलांग सभी उम्मीदवारों को समायोजित किया गया है, जो भी पहले है ।
- पी.जी स्तर तक बेंचमार्क दिव्यांगों के लिए आरक्षण अधिसंख्य सीटों पर होगा।
- पी.डब्ल्यू.बी.डी के तहत आरक्षण बी.पी.एड और एम.पी.एड कार्यक्रमों पर लागू नहीं होता है।

विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 [उक्त अधिनियम की धारा 2 के खंड *(जेडसी)* को देखें] की अनुसूची में उल्लिखित विकलांगों की निम्नलिखित निर्दिष्ट श्रेणियों में से किसी के अंतर्गत आने वाले बेंचमार्ग विकलांग व्यक्ति उक्त आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र हैं :

I. शारीरिक विकलांगता

ए. लोकोमोटर विकलांगता

1. लोकोमोटर विकलांगता (मस्कुलोस्केलेटल अथवा तंत्रिका तंत्र अथवा दोनों की पीड़ा के परिणामस्वरूप स्वयं और वस्तुओं के मूवमेंट से जुड़ी विशिष्ट गतिविधियों को निष्पादित करने में एक व्यक्ति की असमर्थता), जिसमें शामिल हैं–

2. "कुष्ठ रोग व्यक्ति" का अर्थ है वह व्यक्ति जो कुष्ठ रोग से ठीक हो गया है, लेकिन उससे पीड़ित है–

(i) हाथों अथवा पैरों में संवेदना की हानि के साथ-साथ आंखों और पलक में संवेदना और पैरेसिस की हानि लेकिन विकृति की कोई अभिव्यक्ति नहीं है;

(ii) प्रकट विकृति और पैरेसिस लेकिन उनके हाथ और पैरों में पर्याप्त गतिशीलता होने के लिए वे सामान्य आर्थिक गतिविधि में संलग्न हो सके;

(iii) अत्यधिक शारीरिक विकृति के साथ-साथ एडवांस्ड ऐज जो उसे किसी भी लाभप्रद व्यवसाय को शुरू करने से रोकती है, और अभिव्यक्ति "कुष्ठ रोग" का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा;

3. "सेरेब्रल पाल्सी" का अर्थ है गैर-प्रगतिशील न्यूरोलॉजिकल स्थिति का एक समूह जो शरीर के गतिविधियों और मांसपेशियों के समन्वय को प्रभावित करता है, जो मस्तिष्क के एक अथवा अधिक विशिष्ट क्षेत्रों को नुकसान पहुंचाता है, जो आमतौर पर जन्म से पहले, उसके दौरान अथवा उसके तुरंत बाद होता है;

4. "बौनापन" का अर्थ है एक चिकित्सा अथवा आनुवंशिक स्थिति है जिसके परिणामस्वरूप 4 फीट 10 इंच (147 सेंटीमीटर) अथवा उससे कम की वयस्क ऊंचाई होती है;

5. "मस्कुलर डिस्ट्रॉफी" का अर्थ वंशानुगत आनुवंशिक मांसपेशियों की बीमारी का एक समूह है जो मानव शरीर को स्थानांतरित करने वाली मांसपेशियों को कमजोर करता है और कई डिस्ट्रॉफी के साथ व्यक्तियों के जीन में गलत और लापता

जानकारी है, जो उन्हें स्वस्थ मांसपेशियों के लिए आवश्यक प्रोटीन बनाने से रोकती है । यह प्रगतिशील कंकाल मांसपेशियों की कमजोरी, मांसपेशियों के प्रोटीन में दोष, और मांसपेशियों की कोशिकाओं और ऊतकों की मौत की विशेषता है;

6. "एसिड हमले से पीड़ित" का अर्थ है एसिड अथवा इसी तरह के संक्षारक पदार्थ को फेंकने से हिंसक हमलों के कारण विकृत व्यक्ति ।

बी. दृश्यबाधित –

7. "अंधापन" का अर्थ उस स्थिति से है जहां किसी व्यक्ति को निम्नलिखित में से कोई भी स्थिति है, सर्वोत्तम सुधार के बाद –

(i) दृष्टि की पूर्ण अनुपस्थिति; अथवा

(ii) दृश्य तीक्ष्णता से कम 3/60 अथवा कम से कम 10/200 (स्नेलन) बेहतर आँख में बेहतर सुधार के साथ; अथवा

(iii) दृष्टि के क्षेत्र की सीमा 10 डिग्री से कम के कोण को कम करना।

8. "कम दृष्टि" का अर्थ है एक ऐसी स्थिति जहां किसी व्यक्ति के पास निम्नलिखित में से कोई भी स्थिति होती है, अर्थात्:

i. दृश्य तीक्ष्णता 6/18 से अधिक अथवा 20/60 से कम नहीं 3/60 तक अथवा 10/200 (स्नेलेन) तक सर्वोत्तम संभव सुधार के साथ बेहतर आंख में; अथवा ii. दृष्टि के क्षेत्र की सीमा 40 डिग्री से कम के कोण को 10 डिग्री घटाना।

सी. श्रव्य बाधित –

9. "बधिर" का अर्थ है दोनों कानों में स्पीच आवृत्तियों में 70डीबी सुनवाई हानि वाले व्यक्ति;

10. "सुनने में कठिनाई" का अर्थ है दोनों कानों में स्पीच आवृत्तियों में 60 डीबी से 70 डीबी श्रव्य हानि वाले ;

11. "स्पीच और भाषा निशक्तता" का अर्थ है कार्बनिक अथवा न्यूरोलॉजिकल कारणों से स्पीच अथवा भाषा के एक अथवा अधिक घटकों को प्रभावित करने वाले लैरिंगेक्टॉमी अथव एफेसिया जैसी स्थितियों से उत्पन्न होने वाली स्थायी अक्षमता है।

II. बौद्धिक अक्षमता, बौद्धिक कार्यप्रणाली (तर्क, सीखने, समस्या समाधान) और अनुकूल व्यवहार दोनों में महत्वपूर्ण सीमा की विशेषता वाली एक स्थिति, जिसमें प्रत्येक दिन, सामाजिक और व्यावहारिक कौशल शामिल हैं–

1. "*विशिष्ट शिक्षण विकलांग*" का अर्थ है परिस्थितियों का एक विषम समूह जिसमें बोली जाने वाली अथवा लिखित भाषा को संसाधित करने में कमी है, जो खुद को समझने, बोलने, पढ़ने, लिखने, वर्तनी अथवा गणितीय गणना करने में कठिनाई के रूप में प्रकट हो सकती है और इसमें अवधारणात्मक अक्षमता, डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, डिस्प्रेक्सिया और विकासात्मक वाचाघात जैसी स्थितियां शामिल हैं;

2. *"ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम विकार"* का अर्थ है एक न्यूरो-विकासात्मक स्थिति जो आमतौर पर जीवन के पहले तीन वर्षों में दिखाई देती है जो किसी व्यक्ति की संवाद करने, रिश्तों को समझने और दूसरों से संबंधित होने की क्षमता को प्रभावित करती है, और अक्सर असामान्य अथवा रूढिवादी अनुष्ठानों अथवा व्यवहारों से जुड़ी होती है।

III. **मानसिक व्यवहार:**

"मानसिक बीमारी" का अर्थ है सोच, मनोदशा, धारणा, अभिविन्यास अथवा स्मृति का एक पर्याप्त विकार जो निर्णय, व्यवहार, वास्तविकता को पहचानने की क्षमता अथवा जीवन की सामान्य मांगों को पूरा करने की क्षमता को प्रभावित करता है, लेकिन इसमें मंदता शामिल नहीं है जो किसी व्यक्ति के मस्तिष्क के अवरुद्ध अथवा अधूरे विकास की स्थिति है, विशेष रूप से बुद्धि की उप सामान्यता द्वारा विशेषता है।

IV. विकलांगता के कारण -

(क) *क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल स्थितियां,* जैसे-

1. "मल्टीपल स्क्लेरोसिस" का अर्थ है एक सूजन, तंत्रिका तंत्र रोग जिसमें मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी की तंत्रिका कोशिकाओं के अक्षतंतु के आसपास माइलिन सीथ्स क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, जिससे डिमाइलेशन होता है और एक दूसरे के साथ संचार करने हेतु मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में तंत्रिका कोशिकाओं की क्षमता को प्रभावित करता है;

2. "पार्किंसंस रोग" का अर्थ है तंत्रिका तंत्र का एक प्रगतिशील रोग जो कंपन, पेशीय कठोरता, और धीमी गति से, सटीक गति से चिह्नित होता है, जो मुख्यतः मस्तिष्क के बेसल गैंगलिया के अध: पतन से जुड़े मध्यम आयु वर्ग और बुजुर्ग लोगों को प्रभावित करता है और न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन की कमी होती है । **(ख) *रक्त विकार-***

1. "हीमोफीलिया" का अर्थ है एक वंशानुगत रोग, जो आमतौर पर केवल पुरुष को प्रभावित करता है लेकिन महिलाओं द्वारा अपने पुरुष बच्चों को संचारित होता है, जो रक्त की सामान्य थक्का जमने की क्षमता में कमी अथवा हानि की विशेषता है ताकि एक मामूली घाव के परिणामस्वरूप घातक रक्तस्राव हो सकता है;

2. "थैलीसीमिया" का अर्थ है विरासत में मिले विकारों का एक समूह है जो हीमोग्लोबिन की कमी अथवा अनुपस्थित मात्रा की विशेषता है।

3. "सिकल सेल रोग" का अर्थ एक हेमोलिटिक विकार है पुरानी एनीमिया, दर्दनाक घटनाओं और संबंधित ऊतकों और अंग क्षति के कारण विभिन्न जटिलताओं की विशेषता है; "हीमोलिटिक" लाल रक्त कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली के विनाश को संदर्भित करता है जिसके परिणामस्वरूप हीमोग्लोबिन का निस्तार होता है।

V. बहु-विकलांगता (उपर्युक्त निर्दिष्ट विकलांगों में से एक से अधिक)

बधिर अंधापन सहित बहु-विकलांगता जिसका अर्थ है कि ऐसी स्थिति जिसमें एक व्यक्ति को सुनने और देखने की अक्षमता का संयोजन हो सकता है जिससे गंभीर संचार,

और शैक्षिक समस्याएं हो सकती हैं।

VI. कोई अन्य श्रेणी :

केंद्र सरकार द्वारा कोई अन्य श्रेणी अधिसूचित की जा सकती है।

उम्मीदवारों को एक मान्यता प्राप्त सरकारी चिकित्सालय द्वारा जारी एक वैध विकलांगता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें उम्मीदवार की तस्वीर हो।

बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों (पी.डब्ल्यू.बी.डी) वाले व्यक्तियों के संबंध में रियायत/शुल्क की छूट : विश्वविद्यालय के अध्यादेश X(4) में संशोधन के परिणामस्वरूप, उक्त अध्यादेश के अध्यादेश X(4) के उप-खंड 2 के बाद निम्नलिखित प्रावधान जोड़ा गया है- बशर्ते शारीरिक विकलांग व्यक्तियों को प्रवेश शुल्क, दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ की सदस्यता और विश्वविद्यालय अथवा उसके महाविद्यालयों में स्नातक-पूर्व, स्नातकोत्तर अथवा अन्य कार्यक्रमों की पढ़ाई के लिए पहचान पत्र शुल्क सहित देय सभी शुल्क माफ कर दिए जाएंगे । यह प्रावधान आगे बेंचमार्क विकलांग सभी व्यक्तियों पर भी लागू होता है ।

क. उपर्युक्त के अनुसरण में, विश्वविद्यालय के संकायों, विभागों, केंद्रों और संस्थानों/महाविद्यालयों में अध्ययन के विभिन्न कार्यक्रमों का अनुसरण करने वाले बेंचमार्क विकलांग विद्यार्थियों को प्रवेश शुल्क, दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की सदस्यता और पहचान पत्र शुल्क को छोड़कर, परीक्षा शुल्क और अन्य विश्वविद्यालय शुल्क सहित फीस के भुगतान से छूट दी जाएगी ।

ख. पी.डब्ल्यू.बी.डी उम्मीदवार जो अनारक्षित श्रेणी (यू.आर) के लिए कट-ऑफ/पात्रता मानदंडों को पूरा करेंगे और अनारक्षित श्रेणी में प्रवेश लेंगे, वे भी पी.डब्ल्यू.बी.डी विद्यार्थियों के लिए लागू शुल्क का भुगतान करेंगे ।

ग. कार्यकारी परिषद के संकल्प संख्या 50 दिनांकित 03.11-2012 के अनुसरण में, यह अधिसूचित किया गया है कि विश्वविद्यालय के विभिन्न छात्रावासों/हॉल में रहने वाले शारीरिक विकलांग विद्यार्थियों को वापसी योग्य सावधानी शुल्क और मेस फीस को छोड़कर सभी छात्रावास शुल्क और शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है । शारीरिक निशक्तजनों को मेस शुल्क का 50 % भुगतान करना होगा और दिल्ली विश्वविद्यालय पी.डब्ल्यू.बी.डी के विद्यार्थियों के संबंध में मेस शुल्क का शेष 50 % का भुगतान करेगा। महाविद्यालयों के विभिन्न छात्रावासों में रहने वाले पी.डब्ल्यू.बी.डी विद्यार्थियों के संबंध में महाविद्यालयों द्वारा इसी प्रकार के मानदंड अपनाए जाने हैं। बेंचमार्क विकलांग सभी विद्यार्थियों के संबंध में उपरोक्त प्रावधान, रियायतें/छूट लागू हैं।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जिन बेंचमार्क विकलांग विद्यार्थियों को फैलोशिप/वित्तीय सहायता मिल रही है, उन्हें निम्नलिखित शर्तों के अधीन शुल्क/प्रभार/मेस शुल्क के भुगतान से छूट दी जाएगी:

फैलोशिप का मूल्य	फीस माफी आदि में छूट
3000 रुपये प्रतिमाह तक	फीस माफी + 50% मेस सब्सिडी
3001 से 8000 रुपये प्रतिमाह	फीस माफी लेकिन मेस सब्सिडी नहीं
8001 रुपये और उससे अधिक प्रतिमाह	फीस माफी नहीं और छात्रावास

	सब्सिडी नहीं

पी.डब्ल्यू.बी.डी उम्मीदवारों के लिए प्रावधान

(i) दृष्टिहीनता, लोकोमोटर विकलांगता (दोनों हाथ प्रभावित–बीए) और सेरेब्रल पाल्सी की श्रेणी में बेंचमार्क विकलांग उम्मीदवारों के मामले में, यदि वे चाहें तो स्क्राइब/रीडर की सुविधा दी जाएगी ।

(ii) बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों की अन्य श्रेणी (उक्त अधिनियम की अनुसूची का उल्लेख किया जा सकता है) के मामले में, संबंधित व्यक्ति के संबंध में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर स्क्राइब/रीडर के प्रावधान (यदि वे चाहें तो) की अनुमति दी जा सकती है कि संबंधित व्यक्ति को लिखने के लिए शारीरिक सीमा है *(सी.बी.टी के मामले में माउस का उपयोग)* निर्धारित प्रपत्र के अनुसार सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक से उसकी ओर से परीक्षा लिखने के लिए स्क्राइब आवश्यक है।

(iii) ऐसे उम्मीदवारों के पास अपने स्वयं के स्क्राइब/रीडर को लाने का विवेकाधिकार होगा अथवा एन.टी.ए से अथवा परीक्षा में शामिल इसके किसी अधिकृत संस्थान/एजेंसी/कार्मिक के माध्यम से स्क्राइब/रीडर लेने का विकल्प चुन सकते हैं।

(iv) एक पात्र पी.डब्ल्यू.बी.डी उम्मीदवार जो स्क्राइब/रीडर की सुविधा लेने के इच्छुक हैं, उनको आवेदन पत्र के संबंधित कॉलम में अपनी उपयुक्त पी.डब्ल्यू.बी.डी श्रेणी का उल्लेख करना होगा और यह भी रिकॉर्ड करना होगा कि क्या उसके पास स्क्राइब/रीडर की अपनी व्यवस्था होगी अथवा इसकी व्यवस्था एन.टी.ए द्वारा अथवा इसके किसी अधिकृत संस्थान/एजेंसी/कार्मिक के माध्यम से करनी होगी ।

(v) स्क्राइब की योग्यता परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी की योग्यता से एक कदम नीचे होगी। स्वयं के स्क्राइब/रीडर का चयन करने वाले बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों को निर्धारित प्रोफार्मा के अनुसार स्वयं के स्क्राइब का विवरण प्रस्तुत करना चाहिए ।

	(vi) यदि किसी पी.डब्ल्यू.बी.डी उम्मीदवार ने एन.टी.ए से अथवा इसके किसी अधिकृत संस्थान/एजेंसी/कार्मिक के माध्यम से स्क्राइब/रीडर का विकल्प चुना है, तो केंद्र अधीक्षक परीक्षा से एक दिन पहले स्क्राइब/रीडर के साथ उम्मीदवार की बैठक की व्यवस्था करेगा, ताकि उसे यह जांचने/सत्यापित करने का मौका दिया जा सके कि स्क्राइब/रीडर उपयुक्त है अथवा नहीं । (vii) परीक्षा के प्रति घंटे 20 मिनट से कम नहीं का प्रतिपूरक समय उस उम्मीदवार को दिया जाएगा जिसे स्क्राइब/रीडर का उपयोग करने की अनुमति है । यदि परीक्षा 02 घंटे की अवधि है, तो प्रतिपूरक समय 40 मिनट होगा। यदि परीक्षा की अवधि 02 घंटे से अधिक है, तो प्रतिपूरक समय आनुपातिक आधार पर होगा। (viii) जहां तक संभव हो, विकलांग व्यक्ति(व्यक्तियों) के लिए परीक्षा भूतल पर आयोजित की जानी चाहिए ।
9.2	**सशस्त्र बल (सी.डब्ल्यू) कोटा** विश्वविद्यालय सी.डब्ल्यू श्रेणी के अंतर्गत सभी विभागों/केंद्रों/महाविद्यालयों में कार्यक्रमवार 5% (कुल संख्या का) सीटें आरक्षित करता है। इस श्रेणी के तहत प्रवेश लेने वाले उम्मीदवारों को विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित अनुसूची के अनुसार ऑनलाइन पंजीकरण करना आवश्यक होगा और केवल निर्धारित प्रारूप में, निम्नलिखित प्राधिकरणों में से किसी द्वारा जारी किया गया शैक्षिक रियायत प्रमाण पत्र **(शैक्षिक रियायत प्रमाण पत्र** का प्रारूप अनुलग्नक- **III** में प्रदान किया गया है) अपलोड करना होगा: ❖ सचिव, केंद्रीय सैनिक बोर्ड, दिल्ली ❖ सचिव, राज्य जिला सैनिक बोर्ड ❖ प्रभारी अधिकारी, अभिलेख कार्यालय ❖ प्रथम श्रेणी स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट

गृह मंत्रालय (वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाले पुलिस कर्मियों के लिए) वरीयता[11] के निम्नलिखित क्रम में अर्धसैनिक बलों सहित सशस्त्र बलों के अधिकारियों और पुरुषों की विधवाओं के बच्चों को प्रवेश दिया जा सकता है ।

I. कार्रवाई में मारे गए रक्षा कर्मियों की विधवाएं/वार्ड

II. रक्षा कर्मियों के वार्ड कार्रवाई में अक्षम और सैन्य सेवा के कारण विकलांगता के साथ सेवा से बाहर हो गए

III. रक्षा कर्मियों की विधवाएं/वार्ड जो सैन्य सेवा के कारण मृत्यु को प्राप्त हुए एवं सेवा के दौरान मरे

IV. रक्षा कर्मियों के बच्चे सेवा में अक्षम और सैन्य सेवाओं के कारण विकलांगता के साथ बोर्ड से बाहर हो गए।

V. वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाले पुलिस बलों के कर्मियों सहित सेवारत/पूर्व सैनिक कर्मियों के बच्चे (वार्ड)

1. परम वीर चक्र
2. अशोक चक्र
3. महा वीर चक्र
4. कीर्ति चक्र
5. वीर चक्र
6. शौर्य चक्र
7. अग्नि सेवा कर्मियों के लिए वीरता/राष्ट्रपति वीरता पदक के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक
8. सेना, नौसेना, वायुसेना पदक
9. मेंशन-इन-डिस्पैच
10. अग्निशमन सेवाओं के लिए वीरता/वीरता पदक के लिए पुलिस पदक

VI. पूर्व सैनिकों के वार्ड की पत्नी:

1. रक्षा कर्मिक कार्रवाई में विकलांग और सेवा से बाहर हो गए
2. रक्षा कर्मियों को सेवा में अक्षम और सैन्य सेवा के कारण विकलांगता के साथ बाहर हो गए
3. पूर्व सैनिक और सेवारत कर्मी जिन्हें वीरता पुरस्कार प्राप्त हो रहे हैं।

VIII. सेवारत कर्मियों के बच्चे (वार्ड)

IX. सेवारत कर्मियों की पत्नी

नोट: सी.डब्ल्यू श्रेणी के तहत केवल लाभ पैरामिलिट्री v फोर्सेज प्राथमिकता के कार्मिकों की विधवाओं/वार्डों को केवल दिया जा सकता है।

प्राथमिकता v में प्रवेश वीरता पुरस्कारों की परस्पर-प्राथमिकता के अनुसार होता है।

9.3	**वार्ड कोटा** एकेडेमिक परिषद दिनांकित 27.11.2020 के संकल्प संख्या 9 के अनुसार विभिन्न स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में दिल्ली विश्वविद्यालय और उसके महाविद्यालयों, दोनों शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के बच्चों को प्रवेश दिया जाता जाता है। डी.यू वार्ड कोटे के तहत दाखिले के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों को ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म भरना होगा। वार्ड कोटा के तहत प्रवेश के लिए शेड्यूल और प्रक्रिया विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अधिसूचित की जाएगी । पात्र उम्मीदवारों को इस श्रेणी के तहत प्रवेश के अपने दावे का समर्थन करने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय अथवा उसके महाविद्यालय में माता-पिता दोनों के रोजगार की स्थिति के संबंध में दिल्ली विश्वविद्यालय के कानूनी रूप से अधिकृत अधिकारियों द्वारा जारी किए गए प्रमाण को अपलोड करने की आवश्यकता होती है । एक से अधिक कार्यक्रम में प्रवेश लेने के पात्र उम्मीदवारों को उनके द्वारा दिए गए वरीयता क्रम में कार्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए विकल्प दिया जाएगा । एक बार कार्यक्रम की वरीयता प्राप्त हो जाने के बाद, विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति द्वारा तैयार की गई संबंधित मेरिट सूचियों के आधार पर सीटों का केंद्रीकृत आबंटन किया जाएगा । प्रवेश का पहला दौर पूरा होने के बाद अगला दौर तभी शुरू होगा जब सीटों के साथ-साथ अधिक योग्य उम्मीदवार उपलब्ध होंगे ।

9.4	**खेल (स्पोर्ट्स) कोटा** 1. विश्वविद्यालय खेल कोटा में स्नातकोत्तर कार्यक्रम में अधिसंख्य सीटों के रूप में 5% (विभाग/महाविद्यालय की कुल प्रवेश क्षमता का) निर्धारित करता है । 2. स्नातकोत्तर कार्यक्रम में खेल के आधार पर प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा अर्थात् डी.यू.ई.टी 2021 में उपस्थित होना अनिवार्य है। 3. खेल के आधार पर मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, बैचलर ऑफ एजुकेशन/बी.एड, विशेष शिक्षा (एमआर/वी.आई), मास्टर ऑफ एजुकेशन, माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स, मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, एल.एल.बी/एल.एल.एम, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, एम.ए सामाजिक कार्य (सोशल वर्क) और एमएस.सी गणितीय शिक्षा (मैथमेटिकल एजुकेशन) कार्यक्रमों में प्रवेश लागू नहीं है। 4. खेल के आधार पर उस अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं मिलता है, जिसने पहले विभाग/महाविद्यालय

में प्रवेश लिया है और खेल कोटे का लाभ लिया है ।

5. खेल के शेड्यूल के बारे में अतिरिक्त जानकारी डी.यू की वेबसाइट पर अधिसूचित की जाएगी ।

खेल के आधार पर प्रवेश के लिए दिशानिर्देश

1. खेल के आधार पर प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थी को डी.यू पी.जी एडमिशन पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण कराना होता है।
2. एक उम्मीदवार अधिकतम तीन खेलों (गेम्स) /खेलों (स्पोर्ट्स) के लिए पंजीकरण कर सकता है ।
3. (यू.आर/ओ.बी.सी/एस.सी/एस.टी/पी.डब्ल्यू.बी.डी/ई.डब्ल्यू.एस) पंजीकरण के लिए शुल्क के अलावा खेल श्रेणी में प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों से प्रत्येक खेल के लिए 100 रुपये अतिरिक्त पंजीकरण शुल्क लिया जाएगा ।

यहां प्रवेश निम्नलिखित आधार पर किया जाएगा:

I योग्यता (मेरिट) /भागीदारी खेल प्रमाणपत्र के अंकन के लिए मापदंड की श्रेणी ए और बी 1 के आधार पर सीधे प्रवेश ।

II योग्यता भागीदारी खेल प्रमाण पत्र के अंकन के लिए मानदंडों की श्रेणी बी2 और बी3 के आधार पर प्रवेश।

I. योग्यता (मेरिट) /भागीदारी खेल प्रमाणपत्र के अंकन के मापदंड की श्रेणी ए और बी1 के आधार पर सीधे **प्रवेश** ।

श्रेणी ए

युवा मामलों और खेल मंत्रालय (एम.वाई.ए.एस) द्वारा मान्यता प्राप्त और वित्त पोषित निम्नलिखित प्रतियोगिता (प्रतियोगिताओं) में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों को खेल (गेम्स) /खेल (स्पोर्ट्स) के लिए सीधे प्रवेश दिया जाएगा ।

बिंदु संख्या II (बी)

1. अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आई.ओ.सी) द्वारा आयोजित ओलंपिक खेल
2. अंतरराष्ट्रीय खेल संघों (आई.एस.एफ) द्वारा विश्व चैम्पियनशिप/विश्व कप
3. राष्ट्रमंडल खेल महासंघ (सी.जी.एफ) द्वारा राष्ट्रमंडल खेल
4. ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया (ओ.सी.ए) द्वारा एशियाई खेल
5. अंतरराष्ट्रीय खेल संघों (आई.एस.एफ) द्वारा एशियाई चैंपियनशिप
6. दक्षिण एशिया ओलंपिक परिषद (एस.ए.ओ.सी) द्वारा दक्षिण एशियाई खेल (एस.ए.जी)
7. अंतरराष्ट्रीय पैरालंपिक समिति द्वारा पैरालंपिक खेल

(आई.पी.सी) श्रेणी बी

I. भारतीय विश्वविद्यालय संघ (ए.आई.यू) द्वारा आयोजित तीन वर्षों के लिए अखिल भारतीय अंतर-विश्वविद्यालय प्रतियोगिता (प्रतियोगिताओं) में भाग लेने के साथ प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को बिंदु संख्या ।। (बी) पर गेम्स/स्पोर्ट्स के लिए सीधे प्रवेश दिया जाएगा ।

II. योग्यता/भागीदारी खेल प्रमाण पत्र के अंकन के लिए मापदंड की श्रेणियों बी2 और बी3 के आधार पर दाखिला (एडमिशन),

ए. योग्यता/भागीदारी खेल (स्पोर्ट्स) प्रमाण पत्र के लिए अधिकतम 100 अंक

1. योग्यता/भागीदारी खेल प्रमाण पत्र के अंकन के लिए मानदंड गेम/स्पोर्ट्स प्रतियोगिताओं के विभिन्न स्तरों के लिए अंक प्रदर्शित करता है ।
2. आमंत्रण/स्मारक/ओपन/पुरस्कार धनराशि लीग/रैंकिंग प्रतियोगिताओं के खेल प्रमाण पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा । खेल प्रतियोगिताओं में योग्यता/भागीदारी के पत्र/लेटरहेड पर भी विचार नहीं किया जाएगा ।
3. एक उम्मीदवार को तीन मेरिट/भागीदारी खेल प्रमाणपत्र की स्व-सांक्ष्यांकित प्रतियों को अपलोड करना आवश्यक होता है। हालांकि, केवल उच्चतम अपलोड किए गए योग्यता/भागीदारी खेल प्रमाण पत्र को चिह्नित करने के लिए विचार किया जाएगा ।
4. कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए, 01 मई, 2017 से 30 अप्रैल, 2021 तक पिछले चार वर्षों के योग्यता/भागीदारी खेल प्रमाण पत्र पर विचार किया जाएगा।
5. आवेदक की योग्यता का स्तर केवल उन्हीं लोगों के लिए निर्धारित किया जाएगा जिन्होंने पिछले चार वर्षों के दौरान बिंदु संख्या II (बी) पर दर्शाए गेम/स्पोर्ट्स में विशिष्टता हासिल की है ।
6. खेल के आधार पर प्रवेश के लिए पात्र होने के लिए उम्मीदवार द्वारा अपलोड किए गए मेरिट/भागीदारी खेल प्रमाण के अंकन में न्यूनतम 10 अंक सुरक्षित करने चाहिए ।

बी. स्पोर्ट्स के आधार पर प्रवेश के लिए गेम्स/स्पोर्ट्स पर विचार

टीम गेम्स :

बेसबॉल (पुरुष), बास्केटबॉल (पुरुष और महिला), क्रिकेट (पुरुष और महिला), फुटबॉल (पुरुष और महिला), हैंडबॉल (पुरुष और महिला), हॉकी (पुरुष और महिला), कबड्डी (पुरुष और महिला), खो-खो (पुरुष और महिला), नेटबॉल (महिला), सॉफ्टबॉल (महिला), और वॉलीबॉल (पुरुष और महिला)

दोहरे और कोम्बेट खेल :

बैडमिंटन (पुरुष और महिला), मुक्केबाजी (पुरुष और महिला), जूडो (पुरुष और महिला), स्क्वैश (पुरुष और महिला), टेबल टेनिस (पुरुष और महिला), ताइक्वांडो* (पुरुष और महिला), टेनिस (पुरुष और महिला) और कुश्ती ** (पुरुष और महिला) *क्योरुगी

** फ्रीस्टाइल

एकल खेल:

तीरंदाजी *** (पुरुष और महिला), एथलेटिक्स (पुरुष और महिला), शतरंज (पुरुष और महिला), डाइविंग (पुरुष और महिला),
जिमनास्टिक (पुरुष और महिला), शूटिंग**** (पुरुष और महिला), तैराकी (एम एंड डब्ल्यू) और वेट लिफ्टिंग (एम एंडडब्ल्यू) *** कंपाउंड और रिकर्व ***10 मीटर एयर पिस्टल और 10 मीटर एयर राइफल

ध्यान दें :

1. स्पोर्ट्स कोटे के तहत दाखिला(एडमिशन) प्रवेश परीक्षा के आधार पर होगा और इसे संबंधित विभाग/महाविद्यालय द्वारा निम्नानुसार अंतिम रूप दिया जाएगा :

i) विभाग की प्रवेश परीक्षा* में प्राप्त अंकों को प्रवेश शाखा/डी.यू.एस.सी द्वारा विभाग को भेजे गए अपलोड किए गए मेरिट/भागीदीरी खेल प्रमाण पत्र में प्राप्त अंकों में जोड़ा जाए। इसके बाद विभाग/महाविद्यालय खेल के आधार पर दाखिले के लिए विभाग/महाविद्यालय की मेरिट सूची तैयार करेगा और उसी के अनुसार दाखिले करेगा।

*खेल के आधार पर प्रवेश के लिए पात्र होने के लिए उम्मीदवार को प्रवेश परीक्षा में नकारात्मक अंक नहीं प्राप्त करने चाहिए ।

खेल के आधार पर

2. स्पोर्ट्स मेरिट सूची में शामिल होने वाले उम्मीदवार(कैंडिडेट) का नाम किसी कार्यक्रम(प्रोग्राम) और विभाग/महाविद्यालय में दाखिला(एडमिशन) की गारंटी नहीं देता । उम्मीदवार का प्रवेश विभाग/महाविद्यालय में किसी कार्यक्रम में सीटों की उपलब्धता के अधीन है और यह विभाग के कार्यक्रम-विशिष्ट न्यूनतम पात्रता मापदंड की पूर्ति के अधीन होगा और विश्वविद्यालय विनियमों के अनुरूप होगा ।

3. पी.जी खेल प्रवेश समिति इस प्रकार होगी :

ए) चेयरपर्सन : अध्यक्ष, डी.यू.एस.सी
बी) संयोजक: शारीरिक शिक्षा निदेशक, डी.यू.एस.सी
सी) सदस्य/सदस्यों : महाविद्यालयों के दो शारीरिक शिक्षा शिक्षक (डी.यू.एस.सी के अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाने के लिए)

समिति :

i) उम्मीदवार द्वारा अपलोड किए गए पंजीकरण फॉर्म को स्क्रीन करेगी
ii) उम्मीदवार के मूल योग्यता/भागीदारी खेल प्रमाण पत्र से आबंटित अंकों के अनुसार उम्मीदवार के अपलोड किए गए योग्यता/भागीदारी खेल प्रमाण पत्र का सत्यापन करेगी।

4. विश्वविद्यालय का डी.यू.एस.सी अपलोड किए गए मेरिट/भागीदारी खेल प्रमाण पत्र के अंक प्रदान करने से संबंधित शिकायत का निवारण करेगा । अपलोड किए गए मेरिट/भागीदारी खेल प्रमाण पत्रों के अंक तीन दिनों के लिए उम्मीदवार के डैशबोर्ड पर प्रदर्शित किए जाएंगे ताकि शिकायत दर्ज की जा सके। डी.यू.एस.सी द्वारा तीन दिनों के

भीतर सभी शिकायतों का समाधान किया जाएगा।

5. उम्मीदवार के डैशबोर्ड पर प्रदर्शित किए गए प्रदत्त अंक विश्वविद्यालय के डी.यू.एस.सी द्वारा अपलोड किए गए योग्यता/भागीदारी खेल प्रमाण पत्र/दस्तावेजों के सत्यापन की अंतिम जांच के अधीन अनंतिम हैं । विश्वविद्यालय की डी.यू.एस.सी/प्रवेश शाखा का निर्णय अंतिम होगा।
6. विभाग/महाविद्यालय खेलकूद के आधार पर प्रवेश पाने वाले अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का उचित रिकॉर्ड रखेगा।
7. खेल के आधार पर अंतिम रूप से प्रवेश पाने वाले उम्मीदवारों की सूची (सॉफ्ट कॉपी) विश्वविद्यालय के प्रवेश की अंतिम तिथि के सात दिनों के भीतर विभाग/महाविद्यालयों द्वारा अधिष्ठाता (डीन), प्रवेश और निदेशक, डी.यू.एस.सी को भेजी जाएगी ।
8. एक उम्मीदवार को अपनी आयु के अनुसार अगले दो वर्षों के लिए अंतर-विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए पात्र होना चाहिए और उसे कहीं भी अंशकालिक/पूर्णकालिक आधार पर नियोजित नहीं किया जाना चाहिए ।
9. खेल के आधार पर प्रवेश लेने के लिए झूठे/फर्जी प्रमाण पत्र जमा करने वाले उम्मीदवार को तीन वर्ष के लिए किसी भी विभाग/महाविद्यालय में प्रवेश से वंचित कर दिया जाएगा। ऐसे दाखिले रद्द किए जाएंगे और डी.यू.एस.सी द्वारा सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
10. उम्मीदवार को प्रवेश के समय एक अंडरटेकिंग जमा करना अनिवार्य है, जिसमें कहा गया है कि उम्मीदवार प्रैक्टिस करेगा और महाविद्यालय के लिए भाग लेगा, यदि लागू हो और यदि चयनित होता है, तो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित खेल प्रतियोगिताओं में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करेगा, जिसमें विफल रहने पर यदि उम्मीदवार अध्ययन के स्नातकोत्तर कार्यक्रम की पूरी अवधि के दौरान अंडरटेकिंग का उल्लंघन करता है तो विभाग/महाविद्यालय को प्रवेश रद्द करने का अधिकार है ।

श्रेणी	**खेल/खेल प्रतियोगिता (प्रतियोगिताओं) का स्तर**	**प्रमाणपत्र जारीकर्ता प्राधिकरण**	**अधिकतम अंक (100)**			
			प्रथम स्थान	द्वितीय स्थान	तृतीय स्थान	भागीदारी

ए	ओलंपिक खेल/ विश्व चैम्पियनशिप/ विश्व कप/राष्ट्रमंडल खेल/एशियाई खेल /एशियन चैम्पियनशिप /दक्षिण एशियाई खेल/ पैरालंपिक खेल में भारत का प्रतिनिधित्व किया	आई.ओ.सी/आई.एस.एफ/सी.जी.एफ/ ओ.सी.ए/एस.ए.ओ.सी/आई.पी.सी/ आई.ओ.ए/एन.एस.एफ द्वारा मान्यता प्राप्त और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित (एम.वाई.ए.एस)	सीधे प्रवेश			
बी1	तीन वर्षों हेतु अखिल भारतीय अंतर-विश्वविद्यालय प्रतियोगिता/प्रतियोगिताओं में भागीदारी	भारतीय विश्वविद्यालय संघ (ए.आई.यू)	सीधे दाखिला	70	30	पात्र नहीं है
बी2	दो वर्षों हेतु अखिल भारतीय अंतर-विश्वविद्यालय प्रतियोगिता/प्रतियोगिताओं में भागीदारी	भारतीय विश्वविद्यालय संघ (ए.आई.यू)	100	55	20	पात्र नहीं है
बी3	दो वर्षों हेतु अखिल भारतीय अंतर-विश्वविद्यालय प्रतियोगिता/प्रतियोगिताओं में भागीदारी	भारतीय विश्वविद्यालय संघ (ए.आई.यू)	85	40	10	पात्र नहीं है

ध्यान दें :

1. आमंत्रण/स्मारक/ओपन/पुरस्कार धनराशि लीग/रैंकिंग प्रतियोगिताओं के खेल प्रमाण पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा । खेल प्रतियोगिताओं में योग्यता/भागीदारी के पत्र/लेटरहेड पर भी विचार नहीं किया जाएगा ।
2. 01 मई, 2017 से 30, अप्रैल 2021 तक पिछले चार वर्षों के योग्यता/भागीदारी खेल प्रमाण पत्र पर विचार किया जाएगा।
3. उम्मीदवार को तीन योग्यता/भागीदारी खेल प्रमाण पत्र की स्व-साक्ष्यांकित प्रतियां अपलोड करना आवश्यक होता हैं ।

मार्किंग के लिए केवल उच्चतम अपलोड किए गए मेरिट/भागीदारी खेल प्रमाण पत्र पर विचार किया जाएगा ।

10. विदेशी नागरिकों का पंजीकरण/दाखिला

भारतीय विश्वविद्यालय/बोर्ड से अपनी पिछली अर्हक (क्वालीफाइंग) डिग्री पूरी कर चुके सभी विदेशी पासपोर्ट धारक उम्मीदवारों को विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों/महाविद्यालयों में उनके पंजीकरण/प्रवेश के उद्देश्य से विदेशी उम्मीदवार माना जाएगा और उन्हें विदेशी विद्यार्थियों के लिए निर्धारित कोटे (ए.सी संकल्प संख्या 304 के अनुसार) के तहत दाखिला के लिए विचार किया जाएगा । स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में दाखिला पाने के के इच्छुक विदेशी उम्मीदवारों को विदेशी विद्यार्थियों के रजिस्ट्री पोर्टल http://fsr.du.ac.in के माध्यम से आवेदन करना होगा । किसी भी विदेशी विद्यार्थी को विभाग/महाविद्यालयों द्वारा सीधे प्रवेश नहीं दिया जाएगा ।

विदेशी नागरिकों को प्रवेश परीक्षा में बैठने से छूट दी गई है ।

सभी विदेशी विद्यार्थी विदेशी नागरिकों के लिए 5% दाखिला कोटे की इसी श्रेणी में आएंगे। इसमें भारतीय बोर्ड/विश्वविद्यालय के साथ-साथ किसी भी विदेशी बोर्ड/विश्वविद्यालय से योग्यता रखने वाले विदेशी नागरिक शामिल होंगे ।

विदेशी विद्यार्थियों की श्रेणी में प्रवेश उम्मीदवारों की व्यक्तिगत मेरिट के आधार पर तैयार की गई मेरिट सूची के आधार पर किया जाएगा।

स्नातकोत्तर कार्यक्रम/पी.जी प्रमाण पत्र/एस.ओ.एल में प्रवेश लेने के इच्छुक विदेशी उम्मीदवार संपर्क कर सकते हैं: विदेशी विद्यार्थी सलाहकार, विदेशी विद्यार्थी रजिस्ट्री कक्ष संख्या 11, प्रथम तल, सम्मेलन केंद्र, दिल्ली विश्वविद्यालय-110007 वेबसाइट: http://fsr.du.ac.in/
ईमेल: fsr du@yahoo.com,fsr@du.ac.in,fsradmissions@du.ac.in संपर्क: 011-27666756

11. सामान्य दिशानिर्देश

11.1	अनारक्षित (यू.आर) श्रेणी की सीटों के लिए प्रवेश सूची में मेरिट के क्रम में सभी उम्मीदवार शामिल होंगे, और ई.डब्ल्यू.एस/ओ.बी.सी (नॉन-क्रीमी लेयर) /एस.सी/एस.टी/पी.डब्ल्यू.बी.डी/सी.डब्ल्यू उम्मीदवारों को छोड़कर यू.आर श्रेणी की सीटों पर मेरिट के अनुसार प्रवेश दिया जाएगा। दूसरे शब्दों में, इसमें ई.डब्ल्यू.एस/ओ.बी.सी (नॉन-क्रीमी लेयर) /एस.सी/एस.टी/पी.डब्ल्यू.बी.डी/सी.डब्ल्यू उम्मीदवार भी शामिल होंगे, अगर वे यू.आर श्रेणी के लिए योग्यता के मापदंड को पूरा करते हैं । किसी भी उम्मीदवार को यू.आर श्रेणी की मेरिट सूची से सिर्फ इसलिए बाहर नहीं रखा जाएगा क्योंकि वह उपर्युक्त किसी भी श्रेणी से संबंधित है अथवा उसने आवेदन किया है। ऐसे उम्मीदवार यू.आर श्रेणी के साथ-साथ उनकी संबंधित आरक्षित श्रेणियों दोनों के तहत विचार करने के हकदार हैं ।

11.2	यदि प्रवेश परीक्षा मोड में प्रवेश लेने वाले उम्मीदवार के पास दस्तावेज सत्यापन के समय योग्यता परीक्षा अंक पत्रक नहीं है तो उसे अनंतिम रूप से प्रवेश दिया जाएगा और उसे निर्धारित समयावधि तक उसे (क्वालीफाइंग परीक्षा अंक पत्रक) जमा करने की अनुमति दी जाएगी, ऐसा न होने पर उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी, और सीट मेरिट सूची में अगले उम्मीदवार को मिल जाएगी ।
11.3	यदि प्रवेश परीक्षा मोड में प्रवेश लेने वाले उम्मीदवार के पास दस्तावेज सत्यापन के समय उसका प्रवासन (माइग्रेशन) प्रमाण पत्र (यदि आवश्यक हो) नहीं है, तो उसे इस वचन के साथ अनंतिम रूप से प्रवेश दिया जा सकता है कि वह एक निश्चित समय सीमा तक इसे (माइग्रेशन सर्टिफिकेट) जमा करेगा, ऐसा न होने पर उसका प्रवेश रद्द माना जाएगा ।
11.4	प्रवेश के मेरिट आधारित मोड में, यदि किसी उम्मीदवार का अर्हक परीक्षा परिणाम घोषित/अद्यतन किया जाता है, जबकि प्रवेश प्रक्रिया पहले से ही चल रही है, तो उसे शेष सीटों पर प्रवेश के लिए विचार किया जाएगा, बशर्ते उसके अंक चल रही/आगामी प्रवेश सूची की सीमा के भीतर आ जाएं ।
11.5	आरक्षण/छूट का लाभ प्राप्त करने के लिए, एक उम्मीदवार को विभाग/महाविद्यालय को एक वैध प्रमाण पत्र (एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी) जमा करना होगा और विभाग/महाविद्यालय संबंधित जारीकर्ता प्राधिकारी के साथ अथवा सरकारी वेबसाइटों द्वारा प्रदान किए गए ऑनलाइन लिंक के माध्यम से इसका सत्यापन करेगा ।
11.6	दिल्ली विश्वविद्यालय ए.सी संकल्प 40 दिनांकित 24/04/1997 के अनुसार, विश्वविद्यालय के किसी भी विद्यार्थी को दिल्ली विश्वविद्यालय अथवा अन्य विश्वविद्यालय से एक साथ दो डिग्री कार्यक्रमों को करने की अनुमति नहीं है । हालांकि, वह पात्र होने पर विश्वविद्यालय विभागों/केंद्रों/महाविद्यालयों द्वारा प्रदान किए जाने वाले अंशकालिक डिप्लोमा/प्रमाण पत्र कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सकता है ।
11.7	नियामक निकायों के विनियमों जैसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एम.सी.आई), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए.आई.सी.टी.ई), बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बी.सी.आई), नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन (एन.सी.टी.ई), डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया (डी.सी.आई) इत्यादि द्वारा शासित कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय संबंधित निकायों के संबंधित विनियमों के तहत निर्धारित न्यूनतम पात्रता आवश्यकताओं का पालन करता है ।
11.8	वर्ष 2011 के बाद से विश्वविद्यालय प्रशासन ने दाखिले में देरी को माफ करने की प्रथा बंद कर दी है। इसलिए दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यादेश-II के अनुसार, सभी स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में प्रवेश को संबंधित शैक्षणिक सत्र के 31 अगस्त तक अंतिम रूप दिया जाना है । हालांकि, कोविड के कारण चल रही स्थिति के कारण, और यू.जी.सी की अधिसूचना दिनांकित 16 जुलाई के अनुसार प्रवेश की अंतिम तिथि 30.09.2021 होगी यह तिथि महामारी के कारण अभूतपूर्व स्थिति के कारण बदल सकती है। तिथि में किसी भी बदलाव को डी.यू की वेबसाइट www.du.ac.in पर अधिसूचित किया जाएगा। .
11.9	उम्मीदवार ध्यान दें कि पंजीकरण के समय दर्ज की गई श्रेणी, लैंगिक और बैंक विवरण में किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

12. दाखिला शिकायत निवारण समिति (समितियां)

अधिष्ठाता, विद्यार्थी कल्याण कार्यालय में स्थित केंद्रीय दाखिला शिकायत निवारण कमेटी होगी। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक विभाग/केन्द्र/महाविद्यालय की अपनी शिकायत निवारण समिति होगी।

विभाग/महाविद्यालय में शिकायत निवारण समिति के सदस्यों के नाम विभाग/केंद्र/महाविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जाएंगे । प्रवेश के बारे में शिकायत रखने वाले उम्मीदवारों को पहले विभाग/केंद्र/महाविद्यालय की शिकायत निवारण समिति से संपर्क करना चाहिए । यदि शिकायत का उचित समय के भीतर समाधान नहीं किया जाता है, तो उम्मीदवार केंद्रीय दाखिला निवारण समिति से संपर्क कर सकता है

ई.डब्ल्यू.एस/ओ.बी.सी/एस.सी/एस.टी उम्मीदवारों की शिकायतों की जांच के लिए एक अतिरिक्त शिकायत निवारण उप समिति होगी और पी.डब्ल्यू.बी.डी उम्मीदवारों के लिए एक अन्य । इसी तरह, प्रत्येक महाविद्यालय में ई.डब्ल्यू.एस/ओ.बी.सी/एस.सी/एस.टी और पी.डब्ल्यू.बी.डी के लिए अलग-अलग शिकायत निवारण उप-समितियां होंगी, जिसमें संयोजक के रूप में संपर्क अधिकारी के साथ तीन सदस्य होंगे । इच्छुक उम्मीदवारों की सुविधा के लिए विभाग/केंद्र/महाविद्यालय की वेबसाइट और नोटिस बोर्ड पर उप-समिति के सदस्यों का नाम, संपर्क नंबर और ई-मेल पता प्रदर्शित किया जाएगा ।

'प्रस्तुत पी.जी सूचना बुलेटिन 2021-22 मूल रूप में अंग्रेजी में लिखित पी.जी सूचना बुलेटिन 2021-22 का हिंदी अनुवाद है। इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में पी.जी सूचना बुलेटिन 2021-22 मान्य होगा'